## 1. भारत में खनिज परिदृश्य

- खनन क्षेत्र अर्थव्यवस्था के आधारभूत क्षेत्रों में एक है। यह अनेक महत्वपूर्ण उद्योगों को मूल-भूत कच्ची सामग्रियां उपलबध कराता है।
- खनन क्षेत्र (ईंधन, परमाणु, प्रमुख और गौण खनिजों सहित) ने 2017-18 के लिए द्वितीय अग्रिम अनुमानों के अनुसार (वर्तमान मूल्यों पर) लगभग 3.2% का योगदान दिया।
- समग्र प्रवृति के आधार पर, वर्ष 2017-18 के लिए खनिज उत्पादन सूचकांक (आधार 2011-12 = 100) पिछले वर्ष के 99.2 की तुलना 101.7 रहने की संभावना है जो 2.5 प्रतिशत की सकारात्मक वृद्धि दर्शाता है। यह स्मरण करना प्रासंगिक होगा कि इस क्षेत्र ने लगातार दो वर्षों (2011-12 तथा 2012-13) में 0.6% की नकारात्मक वृद्धि दर्ज की है। खनन कार्यकलाप न्यायालय मामलों, पर्यावरणीय, विनियामक तथा भूमि अधिग्रहण प्रकणों के कारण रूके रहे थे।
- जब से सरकार ने नीतिगत सुधार हेतु पहल की है, तब से उल्लेखनीय परिवर्तन आया है। खनन एवं उत्खनन क्षेत्र, जिसमें सभी कोयला, पेट्रोलियम, धातुत्विक और गैर-धातुत्विक खनिज शामिल हैं, में हुई सकल मूल्य की वृद्धि (जीवीए) में यह बदलाव देखा जा सकता है। इस क्षेत्र में वर्ष 2014-15, 2015-16 एवं 2016-17 में क्रमश: 2.4%, 3.1% और 3% वृद्धि हुई।
- साथ ही, भारत में खनिज उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। वर्ष 2016-17 के दौरान प्रमुख खनिजों के उत्पादन में मात्रा की दृष्टि से गत वर्ष के उत्पादन की तुलना में 8.5% की वृद्धि दर्ज की गई है। यदि मूल्य की बात की जाए, पिछले वर्ष की तुलना में खनिज उत्पादन में 17% की वृद्धि दर्ज की गई है।
- इसी तरह, वर्तमान **वर्ष 2018 में जनवरी माह तक**, यदि गत वर्ष की समान अवधि से तुलना की जाए खनिज उत्पादन की मात्रा में 6% की वृद्धि रिकार्ड की गई है। मूल्य आधार पर 25.6% की वृद्धि दर्ज की गई है। मूल्य आधार पर इस वृद्धि में धात्विक क्षेत्र में वास्तविक योगदान कर्ता क्रोमाइट (17%), लौह अयस्क (36.7%) तथा मैंगनीज (29.25%) और गैर-धात्विक क्षेत्र में फॉस्फोराइट (17.7%)।

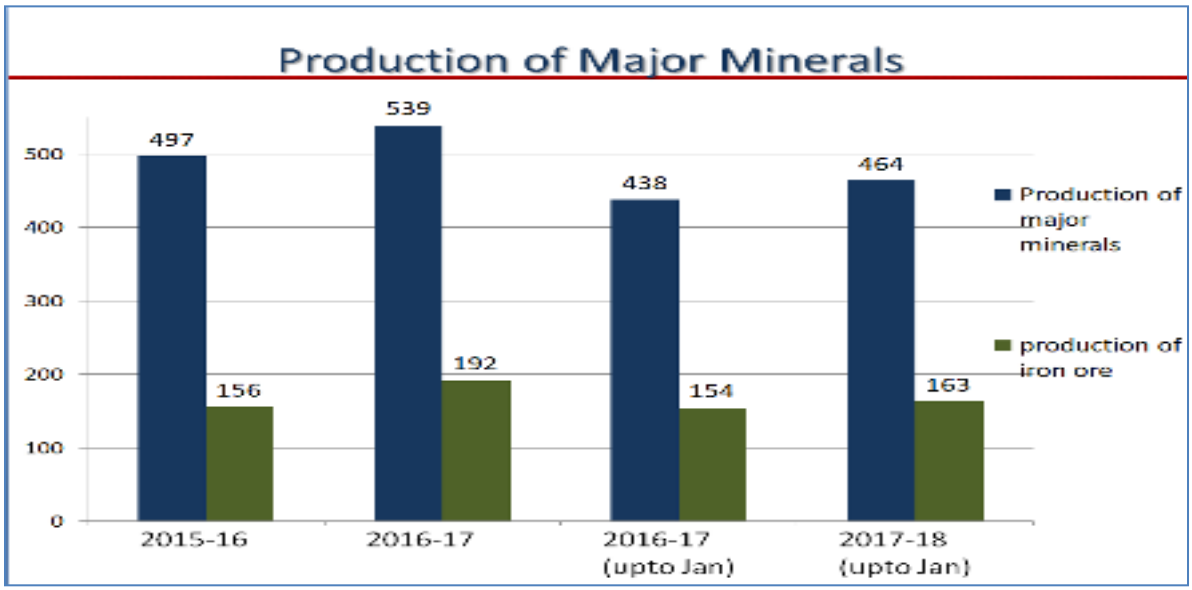
Production of Major Minerals
497
156
539
192
438
154
464
163
500
400
300
200
100
0
2015-16
2016-17
2016-17 (upto Jan)
2017-18 (upto Jan)
Production of major minerals
production of iron ore

**वर्ष 2015-16 एवं 2016-17 के लिए उत्पादन के आंकडे**

| खनिज | इकाई | संचयी उत्पादन | | | | मात्रा में वृद्धि % | मूल्य वृद्धि % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2015-16 | | 2016-17 | | | |
| | | मात्रा | मूल्य | मात्रा | मूल्य | | |
| **सभी खनिज *** | मि.टन | **496.766** | **40,162.547** | **538.935** | **47,088.395** | **8.49%** | **17.24%** |
| बॉक्साइट | मि.टन | 28.134 | 1,409.508 | 24.584 | 1,413.222 | **-12.62%** | **0.26%** |
| क्रोमाइट | मि.टन | 2.894 | 2,304.753 | 3.727 | 3,643.436 | **28.78%** | **58.08%** |
| जस्ता सांद्र | मि.टन | 0.143 | 625.986 | 0.134 | 640.089 | **-6.29%** | **2.25%** |
| लौह अयस्क | मि.टन | 155.910 | 22,115.822 | 192.031 | 25,124.401 | **23.17%** | **13.60%** |
| सीसा सांद्र | मि.टन | 0.262 | 788.517 | 0.268 | 966.917 | **2.29%** | **22.62%** |
| मैंगनीज अयस्क | मि.टन | 2.148 | 886.493 | 2.395 | 1,616.890 | **11.50%** | **82.39%** |
| जिंक सांद्र | मि.टन | 1.474 | 3,494.311 | 1.484 | 4,338.561 | **0.68%** | **24.16%** |
| अन्य धात्विक खनिज | मि.टन | ** | 1,843.520 | ** | 2,017.138 | | **9.42%** |
| **कुल धात्विक खनिज*** | मि.टन | **190.965** | **33,468.910** | **224.623** | **39,760.653** | **17.63%** | **18.80%** |
| चूना-पत्थर | मि.टन | 303.816 | 6,052.966 | 312.878 | 6,681.298 | **2.98%** | **10.38%** |
| मैंगनेसाइट | मि.टन | 0.265 | 70.093 | 0.299 | 73.566 | **12.83%** | **4.95%** |
| फॉस्फोराइट | मि.टन | 1.474 | 327.525 | 0.901 | 311.054 | **-38.87%** | **-5.03%** |
| वोलोस्टोनाइट | मि.टन | 0.175 | 15.036 | 0.166 | 15.894 | **-5.14%** | **5.70%** |
| सिलेमेनाइट | मि.टन | 0.071 | 49.899 | 0.068 | 53.372 | **-4.23%** | **6.96%** |
| अन्य गैर-धात्विक | मि.टन | ** | 178.117 | ** | 192.559 | | **8.11%** |
| **कुल गैर-धात्विक खनिज** | मि.टन | **305.801** | **6,693.636** | **314.312** | **7,327.742** | **2.78%** | **9.47%** |

स्रोत: संदर्भ सं. 231/9/कैबिनेट सारांश / एमएमएस /2017-18 दिनांक 02.05.2017के तहत आईबीएम

** जोडने योग्य नहीं

आवश्यकता अनुसार आंकड़ों को अनुमानित किया गया है

* सूचक और बहुमूल्य पत्थरों और धातुओं, हाईड्रोकार्बन तथा आणिविक खनिजों को छोडकर

**वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 के लिए जनवरी तक उत्पादन के आंकडे**

(मूल्य करोड़ रू. में)

| खनिज | इकाई | संचयी पूर्व वर्ष | | संचयी चालू वर्ष | | मात्रा में वृद्धि % | मूल्य वृद्धि % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | अप्रैल-जनवरी, 17 | | अप्रैल-जनवरी, 18 | | | |
| | | मात्रा | मूल्य | मात्रा | मूल्य | | |
| **सभी खनिज *** | मि.टन | **437.90** | **36,160.78** | **463.79** | **45,424.67** | **5.91** | **25.62** |
| बॉक्साइट | मि.टन | 20.47 | 1,150.42 | 18.28 | 1,208.69 | (10.70) | 5.06 |
| क्रोमाइट | मि.टन | 2.50 | 1,815.26 | 2.35 | 2,129.99 | (5.92) | 17.34 |
| जस्ता सांद्र | मि.टन | 0.11 | 511.73 | 0.11 | 619.27 | 4.25 | 21.02 |
| लौह अयस्क | मि.टन | 154.27 | 19,430.45 | 163.38 | 26,562.07 | 5.90 | 36.70 |
| सीसा सांद्र | मि.टन | 0.21 | 766.21 | 0.26 | 919.82 | 21.06 | 20.05 |
| मैंगनीज अयस्क | मि.टन | 1.90 | 1,195.78 | 2.05 | 1,545.54 | 7.86 | 29.25 |
| जिंक सांद्र | मि.टन | 1.14 | 3,468.71 | 1.26 | 3,971.66 | 11.07 | 14.50 |
| अन्य धात्विक खनिज | मि.टन | ** | 1,812.05 | ** | 1,830.36 | | 1.01 |
| **कुल धात्विक खनिज*** | मि.टन | **180.60** | **30,150.59** | **187.69** | **38,787.39** | **3.93** | **28.65** |
| चूना-पत्थर | मि.टन | 256.16 | 5,480.96 | 274.50 | 6,020.07 | 7.16 | 9.84 |
| मैंगनेसाइट | मि.टन | 0.27 | 65.43 | 0.15 | 39.99 | (42.71) | (38.89) |
| फॉस्फोराइट | मि.टन | 0.68 | 262.95 | 1.25 | 309.48 | 83.20 | 17.70 |
| वोलोस्टोनाइट | मि.टन | 0.05 | 41.56 | 0.07 | 54.98 | 24.69 | 32.29 |
| सिलेमेनाइट | मि.टन | 0.14 | 12.71 | 0.13 | 10.59 | (7.37) | (16.71) |
| अन्य गैर-धात्विक | मि.टन | ** | 146.59 | ** | 202.19 | | 37.93 |
| **कुल गैर-धात्विक खनिज** | मि.टन | **257.304** | **6,010.192** | **276.097** | **6,637.283** | **7.30** | **10.43** |

स्रोत: संदर्भ सं. 231/9/कैबिनेट सारांश / एमएमएस /2017-18 दिनांक 02.05.2017के तहत आईबीएम

** जोडने योग्य नहीं

आवश्यकता अनुसार आंकड़ों को अनुमानित किया गया है

* सूचक और बहुमूल्य पत्थरों और धातुओं, हाईड्रोकार्बन तथा आणिविक खनिजों को छोडकर

## 2. नीतिगत रूपरेखा

**एमएमडीआर अधिनियम संशोधन**

- सरकार की सबसे उल्लेखनीय उपलब्धि एमएमडीआर, अधिनियम में संशोधन करना था, जो खनिज क्षेत्र को शासित करता है। यह संशोधन 12 जनवरी, 2015 से लागू हुआ है।
- **एमएमडीआर अधिनियम में जनवरी, 2015 में संशोधन किया गया**
    - नीलामियों की माफर्त खनिज रियायतें प्रदान की जाती हैं ताकि पारदर्शिता लाई जा सके एवं विवेकाधिकार समाप्त किया जा सके।
    - **डीएमएफ:** खनन द्वारा प्रभावित लोगों की दीर्घकालीन शिकायतों के समाधान हेतु जिला खनिज फाउंडेशन (डीएमएफ)।
    - **एनएमईटी:** क्षेत्रीय एवं विस्तृत गवेषण को प्रोत्साहित करने के लिए राष्ट्रीय खनिज गवेषण न्यास।
    - 50 वर्षों के लिए खनन पट्टे - विद्यमान पट्टों की समय अवधि बढ़ाई गई मानी गई।
    - अवैध खनन की रोकथाम के लिए कठोर दण्ड प्रावधान - प्रति हैक्टे. क्षेत्र के लिए 5 लाख रूपए तक उच्चतर जुर्माना तथा 5 वर्ष तक कारावास की अवधि बढ़ाना ।
- पट्टा क्षेत्र की समुचित परिभाषा तथा ग्रहीत पट्टों, जिन्हें नीलामी द्वारा प्राप्त नहीं किया गया है, के अंतरण की अनुमति देने के लिए 2016 में इस अधिनियम में पुन: संशोधन किए गए हैं।
- मंत्रालय द्वारा एमएमडीआर संशोधन अधिनियम, 2015 के अधीन खनिज ब्लॉकों की नीलामी करने हेतु आवश्यक नियम अर्थात खनिज (खनिज पदार्थ का साक्ष्य) नियम और खनिज (नीलामी) नियम तत्काल बाद अधिसूचित किए गए। **मंत्रालय ने नीलामी प्रक्रियों में शीघ्रता लाने हेतु राज्य सरकारों की सहायता करने के लिए 'मॉडल' निविदा दस्तावेज भी तैयार किए हैं।** खान मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों को नीलामी के लिए उपलब्ध ब्लॉकों को तैयार करने में सहायता करने हेतु विभिन्न राज्यों में भी भेजा गया है।
- **खनिज नीलामी नियम नवम्बर, 2017 में संशोधित किए गए ।** इससे नीलामी प्रक्रियाएं कम जटिल होंगी तथा राज्यों को शीघ्रता से खनिज ब्लॉकों की नीलामी करने में सहायता मिलेगी । परिवर्तन एवं इनके प्रभाव मौटे तौर पर नीचे दर्शाए गए हैं :
    - पुराने नियमों में नीलामी प्रक्रिया, यदि 3 से कम बोलीदाता होने पर रद्द हो जाती थी और इस प्रक्रिया में कम से कम 3 प्रयास करने पडते थे। अब यद्यपि नीलामी के प्रथम प्रयास में अभी न्यूनतम 3 बोलीदाताओं का प्रावधान हैं किंतु अब राज्यों के पास द्वितीय प्रयास में 3 से कम बोलीदाता होने पर भी ब्लॉक को आवंटित करने विकल्प है।

- पहले राज्य उत्पादित खनिजों के 100% उपभोग की मांग करने वाले खनिकों पर अंत्य उपयोग की शर्तें निर्धारित करते थे। अब- ऐसे खनिक ऐसे 25% खनिजों का विक्रय कर सकेंगे जिनका पिछले वर्षों के उत्पादन के आधार पर कैप्टिव प्रयोजनों के लिए उपयोग नहीं किया जाता है।
- संशोधित नियमों में यथाशीघ्र खनिकों के देय भुगतानों के लिए समायोजित किए जाने वाले अफ्रंट प्रीमियम के समायोजन का भी प्रावधान किया गया है।
- संभावित बोलीदाताओं के लिए निवल मूल्य की आवश्यकता को कम कर दिया गया है। व्यावहारिक दृष्टि से 2 करोड़ रूपए तक के औसत वार्षिक उत्पादन के लिए निवल मूल्य की आवश्यकता 4 करोड़ रूपए थी, जिसे घटाकर 0.5 करोड़ रूपए कर दिया गया है। 20 करोड़ रूपए तक के औसत वार्षिक उत्पादन के लिए 40 करोड़ रूपए के निवल मूल्य की आवश्यकता थी जिसे घटाकर 10 करोड़ रूपए कर दिया गया है।
- छोटे बोलीदाताओं के लिए गैर-बाधायुक्त अचल संपत्ति के मूल्य को भी निवल मूल्य में शामिल किया जाएगा, इस प्रकार अधिक संख्या में भागीदारी की अनुमति दी गई है।
- बोली किए गए पट्टों पर अवैध रूप से बने रहने को निरूत्साहित करने के लिए प्रावधान किए गए हैं।

- **खनिज नीलामी नियमों के संशोधन से 41 खनिज ब्लॉकों को 3 महीने के भीतर नीलामी हेतु रखा गया है। जबकि अप्रैल से नवंबर, 2018 तक 27 ब्लॉकों को नीलामी के लिए रखा गया था।**

## राष्ट्रीय खनिज नीति

खान मंत्रालय, एक नई राष्ट्रीय खनिज नीति **(एनएमपी)** की घोषणा करने की प्रक्रिया में है जिसे विद्यमान एनएमपी 2008 से प्रतिस्थापित किया जाएगा। मंत्रालय ने, कॉमन कॉज बनाम भारत संघ एवं अन्य [रिट याचिका (सि) सं.114/2014] के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के निदेशों के अनुसरण में विद्यमान एनएमपी 2008 की समीक्षा पर विचार किया है जिसके लिए संत्रालय ने डॉ. के. राजेश्वर राव, अपर सचिव, खान मंत्रालय की अध्यक्षता में समिति गठित की।

हालांकि नई एनएमपी प्रक्रियाधीन है, विद्यमान एनएमपी की समीक्षा करने के लिए गठित समिति द्वारा मसौदा एनएमपी की सिफारिश की गई जिसे जन सामान्य तथा अन्य प्रणधारियों से टिप्पणियां/सुझाव प्राप्त करने के लिए सार्वजनिक प्लेटफार्म पर डाला गया ।

"संसाधन एवं विकास के इष्टतमीकरण" संबंधी एनएमपी दस्तावेज के इस मसौदे की महत्वपूर्ण विशेषताएं निम्नवत हैं:

- "मेक इन इंडिया" पहल के अंतर्गत, खनिज क्षेत्र में खनिज/अयस्क आपूर्ति पर निर्भर डाउन स्ट्रीम उद्योग निर्भरता की मांग को पूरा करने के लिए सतत् आधार पर समग्र विकास करने की आवश्यकता है।
- मेक इन इंडिया पहल पर जोर देने के साथ, खनिजों की मांग में तेजी से वृद्धि होने की संभावना है, खनिजों का दोहन और प्रबंधन दीर्घावधिक राष्ट्रीय लक्ष्यों और परिप्रेक्ष्य के अनुसार करना होगा तथा देश के आर्थिक विकास की समग्र कार्यनीति में इसे शामिल करना होगा।
- निर्धारित समय के भीतर प्रकृति द्वारा प्रदत्त खनिजों के प्रचुर संसाधनों का पता लगाने के लिए अत्याधुनिक प्रौद्योगिकीयों का प्रयोग किया जाएगा।
- उन संसाधनों के पूर्वेक्षण एवं दोहन विशिष्ट ध्यान रखा जाएगा जिनके लिए देश आयातों पर निर्भर है। ।
- ऐसे खनिज संसाधनों के दोहन पर जोर दिया जाएगा जो देश में प्रचुरता से उपलब्ध हैं, जिससे कि वर्तमान और भविष्य, दोनो आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए घरेलू उद्योग की सभी आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके और साथ ही इन खनिजों के लिए बाहर विपणन की मांग को भी पूरा किया जा सके जिससे कि घरेलू आर्थिक और सामाजिक स्थिति में सुधार हो ।
- सरकार खनन क्षेत्र में सतत विकास हेतु यह सुनिश्चित करेगी कि खनन आर्थिक रूप से व्यवहार्य हो, सामाजिक रूप से उत्तरदायी हो, पर्यावरणीय, तकनीकी एवं वैज्ञानिक रूप से उपयुक्त हो, विकास हेतु दीर्घकालीन दृष्टिकोण सहित, खनिज संसाधनों का बेहतर उपयोग और खानबंदी पश्चात भूमि के उपयोग को सुनिश्चित करें।
- राष्ट्रीय खनन उद्योग की प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त में सुधार के लिए मानव संसाधनों का विकास मुख्य आधार हो।
- मौजूदा तथा नई खनन इकाईयों के लिए मशीनीकरण, कंप्यूट्रीकरण तथा अत्याधुनिक तकनीक के अभिग्रहण तथा स्वचालन पर विशेष बल दिया जाएगा। इस उद्देश्य के लिए मानव विकास संसाधन रणनीति को उपयुक्त रूप से पुन: अनुकूल बनाया जाएगा।
- खनन क्षेत्र की शुरूआत के साथ देश में अधिकाधिक खनन अभियंताओं, भूवैज्ञानिकों, भू-भौतिकविदों, भू-रासायनिज्ञों, भू-उपकरण विशेषज्ञों, साफ्टवेयर विशेषज्ञों आदि की आवश्यकता होगी।
- राज्य सरकारे यह सुनिश्चित करने का प्रयास करेगी कि निष्कासित किए गए खनिजों का पूर्ण मूल्य राज्य द्वारा प्राप्त किया गया हो।
- एक अंतर-मंत्रालयी निकाय का गठन किया जा सकता है जो खनन कार्यकलापों के विस्तार की अनुमोदित सीमा को भी निर्धारित करे तथा जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ खनिजों के वार्षिक उत्खनन की क्षेत्रवार/राज्यवार सीमा, खनिज संसाधनों की उपलब्धता पर विमर्श, क्षेत्र की उत्पादक क्षमता तथा अन्य सभी संगत तथ्यों के साथ अंर्तपीढीय न्याय संगतता और सतत विकास के सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए क्षेत्र पर सूक्ष्म पर्यावरणीय प्रभाव संबंधी विस्तृत अध्ययन शामिल हों।

## 3. खनिज ब्लॉकों की नीलामी

- खनन पट्टों/पीएल-सह-एमएल की नीलामी के कार्यान्वयन हेतु हेंड होल्डिंग-सहयोग प्रदान करने के संबंध में खान मंत्रालय ने अपने संस्थानों जैसे भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई), मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड (एमईसीएल), तथा भारतीय खान ब्यूरो (आईबीएम) और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम जैसे एसबीआई कैपिटल मार्केट लिमिटेड (एसवीआईसीएपी), एमईसीओएन लिमिटेड तथा एमएसटीसी लिमिटेड के माध्यम से राज्य सरकारों को लेनदेन सलाहकार सेवाओं, विभिन्न वैश्विक पोजिशनिंग प्रणाली सर्वेक्षण (डीजीपीएस) भूवैज्ञानिक रिपोर्ट तथा ई-नीलामी प्लेटफार्म हेतु हैंड होल्डिंग सेवाएं प्रदान की है।
- कुल 129 खनिज प्रमुख ब्लॉकों को 9 राज्यों में नीलामी के लिए अधिसूचित किया गया है।
- 12.03.2018 सफलतापूर्वक नीलामी किए गए कुल ब्लॉक = 35 ब्लॉक
- नीलाम संसाधनों का अनुमानित मूल्य = 1,83,326 करोड़ रू. से अधिक।
- पट्टावधि के दौरान राज्य सरकारों को कुल अनुमानित राजस्व = 1,43,893 करोड़ रू.
    - नीलामी से अतिरिक्त योगदान = 1,11,384 करोड़ रू.
    - रॉयल्टी = 29,026 करोड़ रू.
    - डीएमएफ योगदान = 2,903 करोड़ रू.
    - एनएमईटी योगदान = 581 करोड़ रू.
- खनिज नीलामी (संशोधन) नियम को 30.11.2017 को अधिसूचित किया गया जो देश में खनिज ब्लॉकों की नीलामी को बढ़ावा देगा।
- खनिज नीलामी नियम में संशोधन करने के पश्चात राज्यों द्वारा 41 खनिज ब्लॉकों हेतु टेंडर (एनआईटी) जारी किए गए, जहां वर्ष 2017-18 में नवंबर, 2017 तक नीलामी के लिए केवल 27 खनिज ब्लॉक रखे गए।
- वर्ष 2018-19 तक राज्यों द्वारा 112 खनिज ब्लॉकों की नीलामी के लिए प्रक्रियाधीन है।
- 12.03.2018 की स्थितिनुसार देश में 35 खनिज ब्लॉकों की नीलामी की गई और 35 खनिज ब्लॉक विविध स्तरों पर नीलामी प्रक्रिया में है। खनिज ब्लॉकों का राज्य-वार ब्यौरा निम्न है:

| राज्य | नीलाम किए गए ब्लॉकों की सं. | एनआईटी चालू |
|---|---|---|
| आंध्र प्रदेश | 3 चूना-पत्थर ब्लॉक | - |
| छत्तीसगढ़ | 4 ब्लॉक (3 चूना-पत्थर, 1 स्वर्ण) | - |

| | | |
|---|---|---|
| गुजरात | 3 चूना–पत्थर ब्लॉक | - |
| झारखंड | 4 ब्लॉक (2 चूना–पत्थर, 2 स्वर्ण) | 2 ब्लॉक (1 लौह अयस्क, 1 ग्रेफाइट) |
| कर्नाटक | 7 लौह अयस्क ब्लॉक | 8 लौह अयस्क ब्लॉक |
| मध्य प्रदेश | 1 हीरा ब्लॉक | 8 ब्लॉक (5 चूना–पत्थर, 1 बॉक्साइट, 1 लौह अयस्क, 1 ग्रेफाइट) |
| महाराष्ट्र | 2 ब्लॉक (1 चूना–पत्थर, 1 बॉक्साइट) | 12 ब्लॉक (4 बॉक्साइट, 3 चूना–पत्थर, 2 मैंगनीज, 2 कॉपर, 1 लौह अयस्क) |
| ओडिसा | 5 ब्लॉक (3 लौह अयस्क, 1 चूना–पत्थर, 1 मैंगनीज) | 5 ब्लॉक (3 चूना–पत्थर, 2 लौह अयस्क) |
| Rajasthan | 5 चूना–पत्थर ब्लॉक | - |
| **Total** | **35 ब्लॉक** (19 चूना–पत्थर, 10 लौह अयस्क, 3 स्वर्ण, 1 हीरा, 1 मैंगनीज, 1 बॉक्साइट) | **35 ब्लॉक** (13 लौह अयस्क, 11 चूना–पत्थर, 5 बॉक्साइट, 2 मैंगनीज, 2 ग्रेफाइट, 2 कॉपर) |

- **राज्य–वार नीलामी विवरण ( दिनांक 12.3.2018 की स्थिति अनुसार)**

| राज्य | कुल संसाधन | कुल राजस्व | राज्यों का प्रीमियम |
|---|---|---|---|
| **ओडिसा (5)** | 41,782 | 31,726 | 24,923 |
| **कर्नाटक (7)** | 30,929 | 34,353 | 29,157 |
| **छत्तीसगढ़ (4)** | 21,593 | 27,194 | 22,165 |
| **राजस्थान (5)** | 40,617 | 30,034 | 22,195 |
| **गुजरात (3)** | 35,277 | 16,202 | 9,469 |
| **महाराष्ट्र (2)** | 2,114 | 2,987 | 2,587 |
| **आंध्र प्रदेश (3)** | 1808 | 494 | 159 |
| **झारखंड (4)** | 3,759 | 866 | 706 |
| **मध्य प्रदेश (1)** | 107 | 38 | 24 |

- **12.03.2018 की स्थिति अनुसार नीलामी परिणामों का वर्ष–वार सारांश**

| वर्ष | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | कुल |
|---|---|---|---|---|
| नीलाम ब्लॉकों की सं. | 6 | 15 | 14 | **35** |

| खनिज | चूना-पत्थर, लौह अयस्क, स्वर्ण | चूना-पत्थर, लौह अयस्क, मैंगनीज, हीरा, स्वर्ण | चूना-पत्थर, लौह अयस्क, स्वर्ण, बॉक्साइट | चूना-पत्थर, लौह अयस्क, मैंगनीज, हीरा, स्वर्ण, बॉक्साइट |
|---|---|---|---|---|
| **संसाधनों का अनुमानित मूल्य (करोड़ रू. में)** | 29,817.72 | 63,372.56 | 90,136.20 | **1,83,326.48** |
| **नीलामी के माध्यम से अतिरिक्त योगदान (करोड रू. में)** | 13,032.23 | 44,501.74 | 53,850.14 | **1,11,384.11** |
| **रॉयल्टी (करोड रू. में)** | 4,565.44 | 9,564.42 | 14,895.90 | **29,025.76** |
| **डीएमएफ (करोड रू. में)** | 456.54 | 956.44 | 1,489.59 | **2,902.57** |
| **एनएमईटी (करोड रू. में)** | 91.31 | 191.29 | 297.92 | **580.52** |
| **कुल रॉयल्टी + डीएमएफ + एनएमईटी (सांविधिक भुगतान) (करोड रू. में)** | 5,113.30 | 10,712.15 | 16,683.41 | **32,508.85** |
| **50 वर्षों से अधिक सरकार को कुल राजस्व (करोड रू. में)** | 18,145.53 | 55,213.88 | 70,533.55 | **1,43,892.96** |

- देश भर में सफलतापूर्वक नीलामी हेतु रखे गए 34 ब्लॉकों के परिणामों का सारांश दर्शाता है कि 1,83,326 करोड़ रूपए के अनुमानित मूल्य के संसाधनों सहित खनिज का निपटान पारदर्शी तरीके से किया गया है।
- पट्टे अवधि के दौरान राज्य सरकारों को प्राप्त होने वाला कुल अनुमानित राजस्व 1,43,893 करोड रूपए रहा जिसमें नीलामी के माध्यम से प्राप्त 1,11,384 करोड़ रूपए का अनुमानित अतिरिक्त योगदान भी शामिल है। इसमें से संचयी राजस्व, जिला खनिज निधि (डीएमएफ) तथा राष्ट्रीय खनिज गवेषण न्यास (एनएमईटी) का योगदान 32,509 करोड़ रूपए है। (क्रमश: 290,026 करोड़ रूपए, 2,903 करोड़ रूपए तथा 580 करोड रूपए)
- जैसा कि मंत्रालय द्वारा परिकल्पना की गई थी ई-नीलामी कि सफलता ने न केवल नीलामी स्कीम पर अनुमोदन की मोहर लगाई है अपितु यह भी महत्वपूर्ण है कि राज्यों के राजकोष में रॉयल्टी के माध्यम से एकत्रित राशि की तुलना में पर्याप्त रूप से अतिरिक्त अधिक राजस्व उपलबध कराएगा।
- राज्यों द्वारा नीलामी के लिए रखे गए कुछ खनिज ब्लॉकों को बोलीदाताओं की पर्याप्त संख्या में कमी के कारण रदद कर दिया गया था। इसके कारणों में खराब खनिजीकरण/खनिज अयस्कों की श्रेणी, प्रतिकूल मांग-आपूर्ति परिदृश्य, खनिज ब्लॉकों के लिए अंत्य उपयोगी आरक्षणों का अधिरोपण, अनुपयुक्त भूमि स्वामित्व प्रणाली, उच्च आरक्षित मूल्य एवं भुगतान शर्ते शामिल है।

- जुलाई, 2017 की शुरूआत में चुने गए जिलो में टीम को भेजा गया । आईबीएम तथा जीएसआई की संयुक्त समिति ने 56 नीलामी योग्य ब्लॉकों की पहचान की ।
- सचिव द्वारा दौरे किए गए। केंद्रीय मंत्री द्वारा मुख्य मंत्रियों को पत्र भेजे गए ।
- **वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 में किए जा रहे नीलामी ब्लॉक**

| राज्य | 2017-18 (31 मार्च, तक) | 2018-19 |
|---|---|---|
| **आंध्र प्रदेश** | 7 ब्लॉक (5 चूना-पत्थर, 2 स्वर्ण) | 9 मैंगनीज ब्लॉक |
| **छत्तीसगढ़** | - | 6 (1 चूना-पत्थर, 5 बॉक्साइट) |
| **गुजरात** | - | 3 चूना-पत्थर ब्लॉक |
| **झारखंड** | | 12 (2 ग्रेफाइट, 1 डोलोमाइट एवं चूना-पत्थर, 3 बॉक्साइट, 1 लौह अयस्क, 1 चूना-पत्थर, 1 कॉपर, 2 इमराल्ड) |
| **मध्य प्रदेश** | - | 13 ब्लॉक (2 स्वर्ण, |
| **ओडिसा** | 4 (3 लौह अयस्क, 1 मैगनीज) | 5 ब्लॉक (3 लौह अयस्क,1 चूना-पत्थर, 1 ग्रेफाइट) |
| **कर्नाटक** | - | 32 लौह अयस्क ब्लॉक |
| **राजस्थान*** | 6 चूना-पत्थर ब्लॉक | 9 (copper, 5 limestone) |
| **तेलांगाना** | - | 3 चूना-पत्थर ब्लॉक |
| **तमिलनाडु** | - | 3 मोलिबेडनम ब्लॉक |
| **कुल** | **17** | **95** |

- **नीलामी के बाद हैण्डहोल्डिंग** – खनन शुरू करने के लिए अपेक्षित शीघ्र मंजूरी और अनुमोदन के लिए सफल बोलीदाता को सुविधा देने के लिए प्रमुख पणधारी सरकारी संगठनों का अंतर-मंत्रालयी समूह (आईएमजी) तैयार किया गया । गठित आईएमजी-नीलामी के बाद खनन और अनुमोदन सुविधा (पीएएमसीएएफ) को पुन: पारदर्शी, नीलामी मॉनीटरिंग एवं संसाधन संवर्धन (ताम्र) का नाम दिया गया।
  - ई-नीलामी के जरिए खनिज ब्लॉक आवंटित करने के पश्चात् अपेक्षित विभिन्न मंजूरी/अनुमोदनों को सुविधाजनक बनाने तथा शीघ्र करने के लिए अंतर-मंत्रालयी समूह अर्थात नीलामी के बाद खनन और अनुमोदन सुविधा (पीएएमसीएएफ) गठित की गई।
  - पीएएमसीएएफ के तहत् मंजूरी की मॉनीटरिंग और सुविधाजनक बनाने के लिए एक ऑनलाइन प्रणाली विकसित की गई। मोबाइल प्लेटफार्म पर भी ऑनलाइन प्रणाली काम करेगा तथा मंजूरी और अनुमोदन की प्रभावकारी मॉनीटरिंग को समर्थ करेगा।

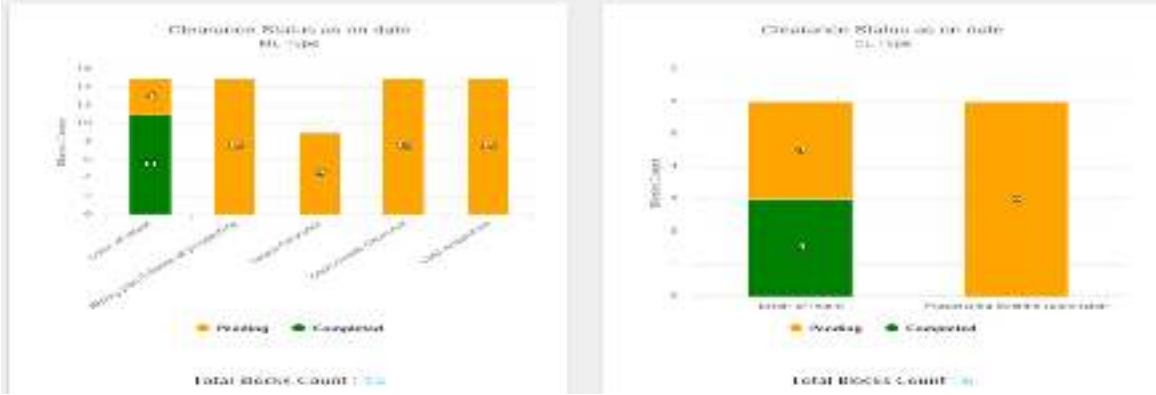


**ऑनलाइन पोर्टल : ताम्र– मंजूरियों व अनुमोदनों की निगरानी**

- नीलामी प्रक्रिया की सफलता, आस–पास के अयस्कों की मांग व व्यवस्थित आपूर्ति, अयस्क की मात्रा व श्रेणी, उसकी उपभोग प्रणाली, खनिजीकरण अध्ययन की गुणवत्ता, भू–स्वामित्व प्रणाली, समुद्रतटीय पर्यावरण प्रतिबंध जहां कही भी उपयुक्त हो, सामान्य सुस्त बाजार परिदृश्य तथा बोली दस्तावेजों में राज्य सरकार द्वारा लागू की गई कोई भी अंतिम उपयोग शर्त आदि जैसे अनेक तथ्यों पर निर्भर करती है।

## 4. प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना (पीएमकेकेकेवाई) की प्रगति

- डीएमएफ का उद्देश्य समावेशी वृद्धि के लिए खनन क्षेत्रों में स्थानीय लोगों की दीर्घ कालीन शिकायतों का समाधान करना है। डीएमएफ को अंशदान विद्यमान खनिकों द्वारा अतिरिक्त रॉयल्टी का 30% तथा 12.01.2015 से एमएमडीआर संशोधन के पश्चात अनुदत्त खानों के खनिकों द्वारा 10% है। प्रमुख खनिज राज्यों के लिए डीएमएफ का वार्षिक बजट 6000 करोड़ रू. होगा।
- केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना (पीएमकेकेकेवाई) को तैयार की है जिसे संबंधित जिलों के जिला खनिज फाउंडेशनों (डीएमएफ) द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा। इसे 16.09.2015 को केंद्र सरकार द्वारा इस अधिनियम की धारा 20क के अंतर्गत दिशा-निर्देश के रूप में जारी किया गया है।
- पीएमकेकेकेवाई में पेयजल/पर्यावरण संरक्षण तथा प्रदूषण नियंत्रण/स्वास्थ्य देखभाल/शिक्षा कौशल विकास/महिलाओं, बच्चों, वृद्धजनों तथा दिव्यांगजनों का कल्याण/स्वच्छता जैसे **उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में उपयोग की जाने वाली निधि का 60% अनिवार्य किया गया है।**
- **अवस्थापना-सड़कें तथा भौतिक अवसंरचना/ सिचाई/वारटशेड विकास के लिए निधि के 40% का उपयोग किया जाएगा।** पीएमकेकेकेवाई के तहत कार्यान्वित परियोजनाएं अनुकूल खनन वातावरण, प्रभावित व्यक्तियों की स्थिति में सुधार तथा पणधारियों के लिए विन-विन स्थिति सृजित करने में सहायक होंगे।
- पीएमकेकेकेवाई स्कीम का उद्देश्य (क) खनन प्रभावित क्षेत्रों में विभिन्न विकास तथा कल्याण परियोजना/कार्यक्रम जो राज्य तथा केंद्र सरकार की मौजूदा चालू स्कीमों/परियोजनाओं के पूरक हैं, कार्यान्वित करना; (ख) खनन के दौरान तथा उसके पश्चात खनन जिले में पर्यावरण, लोगों के स्वास्थ्य और सामाजार्थिक पर प्रतिकूल प्रभाव को कम/न्यून करना; और (ग) खनन क्षेत्रों में प्रभावित लोगों के लिए दीर्घावधिक सतत् आजीविका को सुनिश्चित करना ।
- यह डीएमएफ की शीघ्र स्थापना राज्य सरकारों के हित में है जिससे कि इन निधियों को प्राप्त किया जा सके और पीएमकेकेकेवाई स्कीम द्वारा निर्धारित इन क्षेत्रों के कल्याण और विकास के लिए इसका उपयोग करना शुरू किया जा सके। ये कल्याण गतिविधियों स्थानीय लोगों में खनन उद्योग के प्रति अच्छी साख सृजित करने में सहायक होगी।
- एमएमडीआर अधिनियम में शामिल की गई नई धारा 15क के तहत गौण खनिजों के लिए डीएमएफ गठित करने हेतु राज्य सरकारों को अधिकार प्राप्त है।
- पीएमकेकेकेवाई अधिसूचना में प्रत्येक फाउंडेशन के बारे में निदेश दिया गया है कि यह वेबसाइट तैयार तथा उसका रख रखाव करेगा जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित सूचना दी जाएगी और उसे अद्यतन रखा जाएगा:-
  - (i) डीएमएफ का संघटन/डीएमएफ निकायों का विवरण (यदि कोई हो)।
  - (ii) खनन से प्रभावित क्षेत्रों और व्यक्तियों की सूची ।
  - (iii) पट्टाधारकों और अन्यों से प्राप्त सभी योगदानों की तिमाही विवरण ।
  - (iv) डीएमएफ की सभी बैठकों का एजेंडा, कार्यवृत्त और की गई कार्रवाई रिपोर्ट (एटीआर)
  - (v) वार्षिक योजना और बजट, कार्य आदेश, वार्षिक रिपोर्ट ।

(vi) चालू कार्यों की ऑनलाइन स्थिति- कार्य का विवरण, लाभार्थियों का विवरण, अनुमानित लागत, कार्यान्वयन एजेंसियों का नाम, कार्य को शुरू और पूरा करने की संभावित तारीख, पिछली तिमाही तक वित्तीय और भौतिक प्रगति आदि सहित, पीएमकेकेकेवाई के तहत की जा रही सभी परियोजनाओं/कार्यक्रमों की कार्यान्वयन स्थिति/प्रगति, वेबसाइट पर उपलब्ध की जाएगी ।

(vii) विभिन्न कल्याणकारी कार्यक्रमों के तहत लाभार्थियों की सूची ।

(viii) आरटीआई अधिनियम के तहत स्वैच्छिक खुलासा।

- इसके अतिरिक्त, हमारे देश में जिलों के कार्यक्षम और समयबद्ध विकास के लिए संसद, राज्य विधानसभा तथा स्थानीय सरकार (पंचायती राज्य संस्थानों/म्यूनिसिपल निकायों) में चुने गए सभी प्रतिनिधियों में सही समन्वय सुनिश्चित करने के उद्देश्य को पूरा करने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय की जिला विकास समन्वय और मॉनीटरिंग समिति (दिशा) मार्गदर्शी सिद्धांत तैयार की गई। ये समितियां निर्धारित प्रक्रिया और दिशा निर्देशों के अनुसार कार्यान्वयन को मॉनीटर कर सकती है और अधिक प्रभाव के लिए तालमेल और सम्मिलन को बढ़ावा देगी ।
- 'दिशा' में भारत सरकार के सभी गैर-सांविधिक स्कीमों को कवर किया जाएगा जो सामान्यत: नियंत्रित किए जाते हैं। पीएमकेकेकेवाई को ऐसे 41 कार्यक्रमों की सूची में संलग्न किया गया है।
- पीएमकेकेवाई पोर्टल विकसित किया जा रहा है तथा इस माह जारी किया जाएगा। दस्तावेजी साक्ष्य के साथ जिलों से इस प्रणाली में डाटा डाला जाएगा, इसके देशांतर और अक्षांश के साथ किए जा रहे कार्यों की फोटो भी अपलोड की जाएगी ।
- दिनांक 28.09.2016 को आयोजित प्रगति बैठक के दौरान माननीय प्रधान मंत्री द्वारा राज्यों को पीएमकेकेकेवाई की मॉनीटरिंग के लिए वेब पोर्टल बनाने का निदेश दिया गया । प्रांरभ में एनआईएसजी के ज़रिए एक स्टैडअलोन पोर्टल विकसित किया गया, जो डाटा इनपुट में ओवरलैप के कारण राज्य सरकारों द्वारा हैंडलिंग एकल एप्लीकेशन में सरलता के लिए एमटीएस के साथ एकीकृत करके विकसित किया गया।
- तदनुसार 26.10.2017 को आयोजित कोर समिति की बैठक में एमटीएस- विप्रो लि. की Iक द्वारा चरण-I मॉडयूल की समय सीमा के अनुसार परिवर्तन करने के अनुरोध के तहत पीएमकेकेकेवाई की मॉनीटरिंग संबंधी पोर्टल विकसित करने पर सहमति मिली। पीएमकेकेकेवाई एक प्रमुख मॉडयूल है तथा इसके कार्यान्वयन की मॉनीटरिंग सीधे ही माननीय प्रधानमंत्री द्वारा की जा रही है। छत्तीसगढ, मध्य प्रदेश, गुजरात और ओडिशा 4 राज्यों के पास कार्यात्मक पोर्टल है जिसे मुख्य पोर्टल में समाकलित किया जाएगा। मंत्रालय तथा 11 प्रमुख खनिज प्रचुर राज्य सरकारों को पीएमयू उपलब्ध करने के लिए एनआईएसजी के साथ पहले ही समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। पीएमकेकेकेवाई के राज्य नोडल अधिकारियों को, पोर्टल से अवगत कराया गया है। मासिक विवरण मॉडयूल पीएमकेकेकेवाई, दैनिक विवरण तथा पंजीकरण के साथ, मार्च, 2018 के अंत तक चालू हो जाएगा।

- जून, 2018 में पूरा पोर्टल शुरू होने की संभावना है। परंतु इसे शीघ्र ही 20.3.2018 को खनन सम्मेलन में एमटीएस मॉडयूल के भाग के रूप में शुरू करने की संभावना है (एमटीएस-आईटी की भूमिका संबंधी अध्याय देखें)
- इस बीच, खान मंत्रालय ने अपनी वेबसाइट पर एक लिंक तैयार किया है । इस लिंक बटन में पीएमकेकेकेवाई संबंधित अधिनियमों, दिशा-निर्देशों, डीएमएफ नियमों (राज्य द्वारा बनाए गए नियमों सहित), राज्य के जिस जिले में डीएमएफ स्थापित किया गया है, नोडल अधिकारियों के संपर्क, राज्यवार निधियों की प्राप्ति, स्वीकृत परियोजनाओं/स्कीमों के ब्यौरे तथा किए गए व्यय के बारे में एक संक्षिप्त विवरण दिया गया है ।
- इसके अतिरिक्त पीएमकेकेकेवाई के कार्यान्वयन की मॉनीटरिंग के लिए राज्य सरकारों के द्वारा नॉडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं।
- 31.01.2018 की स्थिति अनुसार 17,117 करोड़ रूपए एकत्र किए गए।
- राज्यों द्वारा यथासूचित डीएमएफ संग्रहण का विवरण।

| क्र. सं. | राज्य | डीएमएफ आंकड़ें की तारीख | क्या डीएमएफ के लिए नियम अधिसूचित किए गए | | कुल जिलें | कुल जिलों की संख्या जिनमें डीएमएफ स्थापित किए गए हैं | डीएमएफ की स्थापना की तारीख | | कोयला और लिग्नाइट के संबंध में डीएमएफ के अंतर्गत संग्रहित राशि (करोड़ रू.) | गौण खनिजों के संबंध में डीएमएफ के अंतर्गत संग्रहित राशि (करोड़ रू.) | प्रमुख खनिजों (कोयला एवं लिग्नाइट को छोडकर) के संबंध में डीएमएफ के अंतर्गत संग्रहित राशि (करोड़ रू.) | डीएमएफ के अंतर्गत संग्रहित कुल राशि (करोड़ रू.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | प्रमुख खनिज | प्रमुख खनिज | | | प्रमुख खनिज के लिए | गौण खनिज के लिए | | | | |
| 1 | आंध्र प्रदेश | **31.01.18** | Yes | Yes | 13 | 13 | 27.06.2015 | 27.06.15 | 0 | 210 | 187 | 397 |
| 2 | छत्तीसगढ | **31.01.18** | Yes | Yes | 27 | 27 | 22.12.15 | 02.01.16 | 1571 | 65 | 921 | 2557 |
| 3 | गोवा | **31.01.18** | Yes | N/A | 2 | 2 | 30.04.15 | N/A | N/A | Nil | 154 | 154 |
| 4 | गुजरात | **31.01.18** | Yes | Yes | 33 | 32 | 01.04. 16 | 01.04.16 | 53 | 90 | 158 | 301 |
| 5 | झारखंड | **31.01.18** | Yes | Yes | 24 | 24 | 23.03.2016 | 13.01.17 | 2057 | 36 | 417 | 2510 |
| 6 | कर्नाटक | **31.01018** | Yes | Yes | 30 | 30 | 11.01.16 | 12.08.16 | | 106 | 728 | 834 |
| 7 | महाराष्ट्र | **28.02.18** | Yes | Yes | 36 | 35 | 01.09.16 | 01.09.16 | 358 | 155 | 112 | 625 |
| 8 | मध्य प्रदेश | **31.01.18** | Yes | N/A | 51 | 51 | 15.05.15 | N/A | 1301 | Nil | 263 | 1564 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **9** | ओडिशा | **31.01.18** | Yes | Yes | 30 | 30 | 18.08.15 | 18.08.15 | 1464 | 19 | 2564 | 4047 |
| **10** | राजस्थान | **31.01.18** | Yes | Yes | 33 | 33 | 31.05.16 | 31.05.16 | 48 | 635 | 1427 | 2110 |
| **11** | तेलंगाना | **31.01.18** | Yes | Yes | 31 | 30 | 20.01.16 | 20.01.16 | 1069 | 185 | 140 | 1394 |
| **12** | तमिलनाडू | **31.01.18** | Yes | Yes | 32 | 30 | 19.05.17 | 19.05.17 | 54 | 32 | 116 | 202 |
| **उप योग** | | | | | 342 | 337 | - | - | 7975 | 1533 | 7187 | 16695 |
| **9 अन्य प्रमुख खनिज उत्पादक राज्यों के लिए डीएमएफ आंकडे (स्रोत : राज्य सरकारें)** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | असम | 31.10.17 | No | No | 32 | 26 | 26.08.2016 | 26.08.16 | Nil | Nil | Nil | Nil |
| 2 | बिहार | 31.10.17 | Yes | No | 38 | Districts have been informed to establish DMF at the earliest | 10.10.2017 | 10.10.17 | N/a | 20 | Not yet received | 20 |
| 3 | हिमाचल प्रदेश | 04.11.17 | Yes | | 12 | 12 | 22.08.17 | 22.08.17 | 0 | 12 | 53 | 65 |
| 4 | जम्मू और कश्मीर | 31.10.17 | Yes | Yes | 22 | 22 | 11.01.17 | 11.01.17 | | 1 | | 1 |
| 5 | केरल | 31.10.17 | No | No | 14 | Under Process | | | | | | |
| 6 | मेघालय | 31.05.17 | No | No | 11 | NP | NP | NP | | | | NP |
| 7 | उत्तराखंड | 31.10.17 | Yes | Yes | 13 | 13 | 17.11.17 | 17.11.17 | NP | NP | NP | NP |
| 8 | उत्तर प्रदेश | 31.10.17 | Yes | Yes | 75 | 75 | 15.05.17 | 15.05.17 | | 250 | | 250 |
| 0 | पश्चिमी बंगाल | 31.10.17 | Yes | Yes | 23 | 20 | 29.07.17 | 29.07.17 | | 12 | | 12 |
| **उप योग** | | | | | | 240 | 168 | | 205 | 122 | 95 | 422 |
| **कुल योग** | | | | | | **582** | **505** | | **8180** | **1655** | **7218** | **17117** |

- शुरू की गई विभिन्न योजनाओं/परियोजनाओं का राज्यवार ब्यौरा निम्नलिखित है-

**पीएमकेकेकेवाई कार्यान्वयन**

| **क्र. सं.** | **राज्य का नाम** | **योजना /परियोजना का नाम** | **कार्यान्वयन के अधीन योजनाओं/परियोजनाओं का ब्यौरा** | **अलग-अलग लाभार्थियों की संख्या जिनकी सहायता की गई (ओडीएफ, प्रशिक्षणार्थि, अन्य** | **आवंटित राशि (करोड़ रूपए में)** | **व्यय की गई राशि (करोड़ रूपए में)** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | आंध्र प्रदेश | विभिन्न समुदायों | **समुदाय हित के लिए परियोजनाओं** | ओडीएफ लाभार्थी- लागू | 397.7 | 51 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | एवं अवसंरचना परियोजना के लिए 3700 कार्यों की पहचान की गई है। | **में निम्नलिखित शामिल है:-**<br>1. पेयजल आपूर्ति<br>2 आंगनवाडी केंद्रों का निर्माण<br>3. पूर्ण सज्जित एम्बुसों की आपूर्ति<br>4. अपशिष्ट का संग्रहण, परिवहन एवं निपटान<br>**अवसंरचना परियोजनाओं में निम्नलिखित शामिल हैं :**<br>1. सड़कों का निर्माण<br>2. सौर पैनलों की आपूर्ति | नहीं<br>प्रशिक्षणार्थी- लागू नहीं<br>अन्य –लागू नहीं | | |
| 2. | छत्तीसगढ़ | 25905 | 1. पेयजल आपूर्ति<br>2. पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण उपाय<br>3. स्वास्थ्य<br>4. शिक्षा<br>5. वृद्ध एवं बाल कल्याण<br>6. कृषि<br>7. वृद्ध एवं दिव्यांग लोगों का कल्याण<br>8. कौशल विकास<br>9. स्वच्छता<br>10. भौतिक अवसंरचना<br>11. सिचाई<br>12. ऊर्जा एवं वाटर शैड विकास<br>13. अन्य | ओडीएफ लाभार्थी -8851<br>प्रशिक्षणार्थी-1799<br>अन्य -50304 | 2794.98 | 1383.23 |
| 3 | गोवा | प्रक्रियाधीन | **प्रस्तावित योजनाएं:**<br>1. दक्षिण गोवा में खनन सड़क कोरिडोर का निर्माण<br>2. उत्तरी/दक्षिण गोवा के खनन क्षेत्रों में मौजूदा सडकों का चौडीकरण<br>3. खनन क्षेत्र में प्रभावित लोगों के लिए चिकित्सा सुविधाएं<br>4. खनन क्षेत्रों में पेयजल की आपूर्ति<br>5. खनन क्षेत्रों में कल्याण परियोजनाएं<br>6. प्रभावित क्षेत्रों में खनन अथवा अन्य गतिविधि द्वारा पुनर्स्थापन | ओडीएफ लाभार्थी - लागू नहीं<br>प्रशिक्षणार्थी - लागू नहीं<br>अन्य –लागू नहीं | शून्य | शून्य |
| 4. | गुजरात | 2873 | **उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्र- पीएमकेकेकेवाई निधि का कम से कम 60%**<br>क) पेयजल आपूर्ति<br>ख) पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण उपाय<br>ग) स्वास्थ्य<br>घ) शिक्षा<br>ङ) महिला एवं बाल कल्याण<br>च) वृद्ध एवं दिव्यांग लोगों का कल्याण<br>छ) कौशल विकास<br>ज) स्वच्छता<br>**अन्य प्राथमिकता वाले क्षेत्र-** | ओडीएफ लाभार्थि- लागू नहीं<br>प्रशिक्षणार्थी- लागू नहीं<br>अन्य –लागू नहीं | 147.84 | 257.59 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **पीएमकेकेकेवाई निधि का कम से 40%**<br>झ) भौतिक अवसंरचना<br>य) सिंचाई<br>ण) ऊर्जा एवं वाटर शैड विकास<br>त) खनन जिले पर्यावरण गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए अन्य उपाय | | | |
| 5. | झारखंड | 1123 | क) 788 पेयजल<br>ख)<br>ग) 52 चिकत्सा क्षेत्र<br>घ) 270 अन्य | ओडीएफ लाभार्थी – 231750<br>प्रशिक्षणार्थी- लागू नहीं<br>अन्य –लागू नहीं | 1727 | 457.19 |
| 6. | कर्नाटक | 5896 | क) 411 पेयजल आपूर्ति<br>ख) 297 पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण उपाय<br>ग) 274 स्वास्थ्य सुरक्षा<br>घ) 1318 शिक्षा<br>ङ) 507 महिला एवं बाल कल्याण<br>च) 33 वृद्ध एवं दिव्यांग लोगों का कल्याण<br>छ) कौशल विकास<br>ज) 213 स्वच्छता<br>झ) 371 भौतिक अवसंरचना<br>त) 23 सिचाई<br>थ) 116 ऊर्जा एवं वाटरशैड विकास<br>द) 2278 खनन जिले पर्यावरण गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए अन्य उपाय | ओडीएफ लाभार्थी - 213<br>प्रशिक्षणार्थी- 5<br>अन्य –लागू नहीं | 353.38 | 0.26 |
| 7. | महाराष्ट्र | 808 स्कीम/परियोजनाएं | न) पेयजल आपूर्ति<br>प) महिला एवं बाल विकास<br>फ) शिक्षा<br>ब) स्वच्छता<br>भ) स्वास्थ्य योजना<br>म) पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण उपाय | ओडीएफ लाभार्थी - लागू नहीं<br>प्रशिक्षणार्थी- लागू नहीं<br>अन्य –लागू नहीं | 171.55 | 30.59 |
| 8. | मध्य प्रदेश | 4193 | **(क) उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्र- निम्नलिखित शिर्षों के तहत कम से कम 60% निधियों का उपयोग किया जाएगा**<br>**क)** पेयजल आपूर्ति<br>ख) पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण उपाय<br>ग) स्वास्थ्य सुरक्षा<br>घ) शिक्षा<br>ङ) महिला एवं बाल कल्याण<br>च) वृद्ध एवं दिव्यांग लोगों का कल्याण<br>छ) कौशल विकास<br>ज) स्वच्छता<br>**ख) अन्य प्राथमिकता वाले क्षेत्र- निम्नलिखित शिर्षों के तहत 40% तक निधियों का उपयोग किया जाएगा**<br>क) भौतिक अवसंरचना<br>ख) सिंचाई | ओडीएफ लाभार्थि- लागू नहीं<br>प्रशिक्षणार्थी- लागू नहीं<br>अन्य –लागू नहीं | 1473 | 278 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ग) ऊर्जा एवं वाटरशैड विकास<br>घ) खनन जिले पर्यावरण गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए अन्य उपाय | | | |
| 9. | ओडिशा | 10142 | क) ऊर्जा<br>ख) शिक्षा<br>ग) सिचाई<br>घ) सार्वजनिक सुविधाएं<br>ङ) विद्युत<br>च) महिला एवं बाल कल्याण<br>छ) कौशल विकास<br>ज) भौतिक अवसंरचना<br>झ) पेयजल आपूर्ति<br>ण) पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूशण नियंत्रण<br>न) स्वास्थ्य सुरक्षा<br>त) आवास<br>थ) वृद्ध एवं दिव्यांग लोगों का कल्याण<br>द) खेल<br>ध) वाटरशेड विकास | | | |
| 10. | राजस्थान | 4849 | सडकों, स्कूल की इमात, स्कूली कमरों और खान सड़को, गांव की सडकों का विकास | ओडीएफ लाभार्थी - लागू नहीं<br>प्रशिक्षणार्थी- लागू नहीं | 903 | 57 |
| | | | | अन्य -लागू नहीं | | |
| 11. | तेलंगाना | 219 | डीएमएफ के जरिए 07 जिलों में स्कीमों/परियोजनाओं का क्रियान्वयन प्रारंभिक स्तर पर है। | ओडीएफ लाभार्थी - लागू नहीं<br>प्रशिक्षणार्थी- लागू नहीं<br>अन्य -लागू नहीं | 27.59 | 9.90 |
| 12. | तमिलनाडु | शून्य | **शून्य** | ओडीएफ लाभार्थी - लागू नहीं<br>प्रशिक्षणार्थी - लागू नहीं<br>अन्य -लागू नहीं | शून्य | शून्य |
| | **कुल** | **59708** | | | **10307.14** | **2869.24** |

*कुछ राज्य ओडीएफ के अंतर्गत शौचालय, एक कार्यक्रम में प्रशिक्षु आदि की अलग परियोजनाओं के रूप में लाभ भोगी उन्मुख कार्यकलापों की गणना कर रहे है। इसलिए स्पष्ट किया जाता है कि लाभभोगी उन्मुख योजनाएं एक परियोजना के रूप में दर्शाई जाएंगी अर्थात् स्वच्छ भारत को किसी जिला विशेष के लिए अलग परियोजना माना जा सकता है। यदि 12 जिले इसे करते हैं तो उन्हें 12 परियोजना माना जाएगा। लाभभोगियों को अलग से दर्शाया जाएगा। इसके अतिरिक्त किसी विशेष व्यवसायिक पाठ्यक्रम की एक परियोजना होगी। लाभभोगियों को कॉलम 08 के अंतर्गत दर्शाया जा सकता है। सड़कें जो सार्वजनिक लाभ के लिए होती है, गिनती ना किए जाने के कारण पर दर्शानें की आवश्यकता नहीं है।

- **क्षेत्र तथा उप-क्षेत्रवार-परियोजनाओं की संख्या**

| **प्राथमिक – क्षेत्र** | **गुजरात** | **ओडिशा** | **छत्तीसगढ़** | **मध्य प्रदेश** |
|---|---|---|---|---|
| **उच्च प्राथमिक क्षेत्र** | | | | |
| पेयजल आपूर्ति | 90 | 3317 | 1266 | 282 |
| पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण उपाय | 0 | 130 | 251 | 77 |
| स्वास्थ्य देशभाल | 7 | 238 | 836 | 143 |
| शिक्षा | 296 | 973 | 3796 | 540 |
| महिला एवं बाल विकास | 3 | 261 | 613 | 130 |
| वृद्ध तथा निशक्तजन कल्याण | 0 | | 40 | 4 |
| कौशल विकास | 16 | 25 | 178 | 899 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| स्वच्छता | 29 | 16 | 630 | 158 |
| **कुल (क)** | **441** | **4960** | **7610** | **2233** |
| **अन्य प्राथमिकता क्षेत्र** | | | | |
| भौतिक अवसंरचना | 61 | 787 | 3612 | 917 |
| सिंचाई | 39 | 315 | 444 | 34 |
| ऊर्जा तथा वाटरशेड विकास | 47 | 163 | 786 | 12 |
| आवास | - | 9 | - | - |
| वनारोपण | - | 33 | - | - |
| अन्य | | 59 | 170 | - |
| **कुल (ख)** | **147** | **1366** | **5012** | **963** |
| **सकल योग (क+ख)** | **588** | **6326** | **12622** | **3196** |

*संबंधित राज्यों से प्राप्त सूचना के अनुसार

- **पीएमकेकेकेवाई मार्गदर्शी सिद्धांतों में यथापरिभाषित क्षेत्र तथा उप-क्षेत्रों की सूची**

| **प्राथमिकता क्षेत्र** | **क्र. सं.** | **क्षेत्र** | **उप-क्षेत्र** |
|---|---|---|---|
| उच्च प्राथमिकता | 1 | पेयजल जलापूर्ति | 1.1 केंद्रीयकृत शोधन प्रणाली<br>1.2 जल उपचार संयंत्र<br>1.3 पेयजल के लिए स्टैंडअलोन सुविधाओं सहित नियमित/अस्थाई जल वितरण नेटवर्क<br>1.4 पाइप जल आपूर्ति प्रणाली को बिछाना |
| | 2 | पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण उपाय | 2.1 अपशिष्ट उपचार संयंत्र<br>2.2 झरने, झीले, तालाब, भूमिजल, क्षेत्र में जल के अन्य स्रोतों के प्रदूषण का निवारण<br>2.3 खनन कार्यों और डम्प के कारण वायु तथा धूल प्रदूषण पर नियंत्रण रखने संबंधी उपाय।<br>2.4 खान ड्रेनेज प्रणाली<br>2.5 खान प्रदूषण निवारक प्रौद्योगिकी<br>2.6 पारिस्थितिकीय तथा सतत् खान विकास के लिए अपेक्षित अन्य वायु, जल एवं सतही प्रदूषण नियंत्रण मैकेनिज्म तथा कार्यशील अथवा परित्यकत खानों के लिए उपाय। |
| | 3 | स्वास्थ्य देखभाल | 3.1 प्राथमिक/गौण स्वास्थ्य देखभाल सुविधा |
| | 4 | शिक्षा | 4.1 स्कूल भवन का निर्माण<br>4.2 अतिरिक्त कक्षाएं, प्रयोगशालाएं पुस्तकालय<br>4.3 पेयजल प्रावधान<br>4.4 सुदूर क्षेत्रों में विद्यार्थियों/शिक्षकों के लिए आवासीय छात्रावास<br>4.5 खेल कूद अवसंरचना<br>4.6 शिक्षक/अन्य सहायक स्टाफ की नियुक्ति<br>4.7 ई-लर्निंग की स्थापना<br>4.8 परिवहन सुविधा (बस/वैन/साइकिल/रिक्शा आदि) की अन्य व्यवस्थाएं<br>4.9 पोषण संबंधी कार्यक्रम |
| | 5 | महिला एवं बाल कल्याण | 5.1 मातृत्व एवं बाल स्वास्थ्य, कुपोषण, संक्रामक रोगों की समस्याओं का समाधान करना । |
| | 6 | वृद्ध एवं दिव्यांग व्यक्ति का कल्याण | 6.1 वृद्ध एवं दिव्यांग व्यक्ति के कल्याण के लिए विशेष कार्यक्रम |
| | 7 | कौशल विकास | 7.1 स्थानीय पात्र लोगों के लिए आजीविका सहायता, आय सृजन एवं आर्थिक गतिविधियों के लिए कौशल विकास |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | 7.2 प्रशिक्षण<br>7.3 कौशल विकास केंद्र का विकास<br>7.4 स्वरोजगार स्कीम<br>7.5 स्व सहायता समूह को सहायता |
| | 8 | स्वच्छता | 8.1 अपशिष्ट का एकत्रण, परिवहन एवं निपटान<br>8.2 सार्वजनिक क्षेत्रों की सफाई<br>8.3 सही ड्रेनेज एवं सीवेज उपचार संयंत्र प्रावधान<br>8.4 मल कीचड़ के निपटान का प्रावधान<br>8.5 शौचालयों एवं अन्य संबंधित गतिविधियों का प्रावधान |
| अन्य प्राथमिकता | क | भौतिक अवसंरचना | क. 1 भौतिक अवसंरचना-सड़क, पुल रेलवे एवं जलमार्ग परियोजनाएं |
| | ख | सिंचाई | ख. 1 सिंचाई के वैकल्पिक स्रोतों का विकास<br>ख. 2 उचित एवं उन्नत सिंचाई तकनीक को अपनाना |
| | ग | ऊर्जा और वाटरशैड विकास | ग. 1 ऊर्जा (माइक्रो-हाइडल सहित) एवं वर्षा जल संचयन प्रणाली के वैकल्पिक स्रोत का विकास<br>ग. 2 बगीचे का विकास<br>ग. 3 एकीकृत कृषि<br>ग. 4 आर्थिक वानिकी<br>ग. 5 कैचमेंट की मरम्मत |
| | घ | पर्यावरण की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए कोई अन्य उपाय | घ. 1 अन्य गतिविधियां |

## 5. 2020 में समाप्त हो रहे खनन पट्टों की नीलामी के लिए तैयारी

- एमएमडीआर संशोधन के प्रावधानों के अनुसार मर्चेंट खनिकों के लिए पट्टा अवधि 2020 में समाप्त हो जाएगी। नीलामी प्रक्रिया काफी पहले शुरू किए जाने की जरूरत है जिससे कि मौजूदा पट्टाधारकों से नए पट्टाधारकों में निर्बाध रूप से हस्तांतरण सुनिश्चित किया जा सके क्योंकि सभी अपेक्षित स्वीकृतियों के पश्चात नीलाम किए गए नए पट्टों को निष्पादित करने में लगभग 3-4 वर्ष लगेंगे । 2020 में समाप्त होने वाले खनिज ब्लॉकों की शुरू की जाने वाली नीलामी प्रक्रिया की अब जांच की जानी चाहिए और गवेषण, नीलामी एवं तद्रंतर स्वीकृतियों की अपेक्षाओं के लिए रोडमैप बनाया जाना चाहिए ।
- पूर्व में हुई सीसीईसी बैठकों, विडियों कॉन्फ्रेंस एवं अनुरोध पत्रों के द्वारा भी 2020 में समाप्त होने वाले पट्टों की नीलामी और इस संबंध में उठने वाले मुद्दों के लिए कार्य योजना बनाने हेतु राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है। राज्य सरकार को इन पट्टों तथा अन्य ब्लॉकों की नीलामी के लिए काफी पहले योजना बनानी चाहिए जिससे कि वर्ष 2020 में मर्चेंट खनिक पट्टों की अवधि समाप्त होने के बाद उत्पादन स्लैक को प्राप्त किया जा सके । अभी तक केवल आंध्र प्रदेश सरकार ने ही कार्य योजना प्रस्तुत की है। इस कार्य योजना को शीघ्रातिशीघ्र खान मंत्रालय, भारत सरकार से साझा किया जा सकता है। राज्यों को 01.07.2019 तक नीलामी शुरू करने की सलाह दी गई है जिससे कि आने वाले नए खनिकों को खान को कार्यशील बनाने के लिए तैयारी हेतु समय मिल सके।
- गवेषण एवं गवेषण योजना तैयार करने से संबंधित कार्य को सुनिश्चित करने के लिए इसे आईबीएम, जीएसआई, एमईसीएल एवं राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों के एक संयुक्त दल द्वारा किया जा रहा है।

- 2020 में समाप्त हो रहे खनन पट्टों की स्थिति का राज्यवार संक्षिप्त विवरण तैयार किया गया है जो निम्नलिखित है:

## 2020 में समाप्त हो रहे राज्य-वार खनन पट्टे

| राज्य | कुल | खनिज | खानों की कुल सं. | कार्यशाल | गैर-कार्यशील |
|---|---|---|---|---|---|
| ओडिसा | **30** | लौह अयस्क | 9 | 8 | 1 |
| | | लौह एवं मैंगनीज | 8 | 7 | 1 |
| | | मैंगनीज | 8 | 5 | 3 |
| | | क्रोमाइट | 3 | 3 | |
| | | चूना-पत्थर | 2 | | 2 |
| कर्नाटक | **45** | लौह अयस्क | 37 | 7 | 30 |
| | | लौह एवं मैंगनीज | 1 | | 1 |
| | | मैंगनीज | 7 | 3 | 4 |
| आंध्र प्रदेश | **5** | लौह अयस्क | 1 | | 1 |
| | | मैंगनीज | 3 | 1 | 2 |
| | | चूना-पत्थर | 1 | 1 | |
| गोवा * | **160** | लौह | 159 | | 159 |
| | | मैंगनीज | 1 | | 1 |
| गुजरात | 11 | बॉक्साइट | 4 | 4 | |
| | | चूना-पत्थर | 7 | 4 | 3 |
| मध्य प्रदेश | 14 | बॉक्साइट | 6 | 4 | 2 |
| | | चूना-पत्थर | 7 | 3 | 4 |
| | | मैंगनीज | 1 | 1 | |
| महाराष्ट्र# | 10 | क्यानाइट, सिलिमेनाइट | 3 | 1 | 2 |
| | | चूना-पत्थर | 2 | | 2 |
| | | मैंगनीज | 1 | | 1 |
| | | क्रोमाइट | 1 | 1 | |
| | | बॉक्साइट | 1 | | 1 |
| | | लौह अयस्क | 2 | 2 | |
| झारखंड | 3 | बॉक्साइट | 1 | | 1 |
| | | ग्रेफाइट | 2 | | 2 |
| राजस्थान | 4 | लौह अयस्क | 1 | | 1 |
| | | गारनेट | 1 | 1 | |
| | | चूना-पत्थर | 1 | 1 | 0 |
| | | क्यानाइट | 1 | | 1 |
| हिमाचल प्रदेश | 2 | चूना-पत्थर | 2 | 2 | |
| हरियाणा | 4 | चूना-पत्थर | 4 | | 4 |
| **कुल** | **288** | | 288 | 59 | 229 |

* गोवा क्षेत्र : डीएमजी, गोवा द्वारा प्रदान की गई तालिका के अनुसार अंतरिम सूची

# महाराष्ट्र राज्य: आरओ, आईबीएम, नागपुर के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत 7 खानें तथा आरओ, गोवा के अंतर्गत 3 खानें (बॉक्साइट और लौह अयस्क) है।

$ कर्नाटक: पूर्व तालिका के अनुसार 46 पट्टे । एसएलसी बैठक के पश्चात 1 एनएमडीसी (पीएसयू) लौह अयस्क खान सूची से बाहर कर दी गई ।

## 6. गवेषण पर जोर

यह उल्लेखनीय है कि जहां तक खनिज संपदा का संबंध है, भारत में ज्यादातर भाग में गवेषण नहीं हुआ है। इसलिए वैज्ञानिक आधार पर गवेषण कार्य में तेजी लाने के लिए सरकारी क्षेत्र की एजेंसी अर्थात भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की गतिविधियों पर और जोर दिया जाना चाहिए। यह स्वीकार करते हुए कि यह कार्यकठिन है लसिए इसे चुनौती का सामना करने के लिए निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित करने हेतु निष्ठापूर्ण प्रयास किए जा रहे हैं। सरकार का चिंतन एनएमईटी, एनएमईपी नीति के महत्वपूर्ण पहलों एवं गवेषण कार्य को शुरू करने के लिए अर्हता प्राप्त एजेंसियों की नियुक्ति से स्पष्ट हो जाता है।

खनिज रियायत के अनुदान हेतु अपनाई गई नीलामियों से गवेषण करने का ज्यादा भार सरकार पर आ गया है। एमएमडीआर संशोधन अधिनियम, 2018 के जरिए **राष्ट्रीय खनिज गवेषण न्यास** बनाया गया था जिसमें देश में गवेषण कार्य शुरू करने के लिए खनन पट्टाधारकों से रॉयल्टी का 2% अतिरिक्त समतुल्य राशि का अंशदान है।

- 370 करोड़ रूपए की अनुमानित लागत पर 68 परियोजनाओं को अनुमोदित किया गया है।
- निधि की उपयोगिता से संबंधित मुद्दे को वित्त मंत्रालय के साथ सुलझाया गया ।
- एनएमईटी नियमों को संशोधित किया गया और 7 मार्च, 2018 को अधिसूचित किया गया।
- 2017-18 में 100 करोड़ रूपए की देयताओं के निपटान का उद्देश्य। 2018-19 में 400 करोड़ रूपए का व्यय बजट ।

इसके अतिरिकत, सभी ज्ञात भंडारों के दोहन के कारण गैर बल्क सतही भंडारों की उपलब्धता में लगातार गिरावट हुई, जिसने कई सदियों तक मानव सभ्यता को अनवरत रखा। इसलिए यह गभीरस्थ खनिज संसाधनों को खोजने तथा उद्योग की बढ़ती आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए देश में गवेषण में तेजी लाना अनिवार्य हो गया है। अन्य देशों का अनुभव यह दर्शाता है कि अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी द्वारा अतिरिक्त गवेषण और सज्जीकरण से भंडारों में वृद्धि की जा सकती है, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया का ज्ञांत लौह अयस्क भंडार में 40 वर्षों में 100 गुणा वृद्धि हुई अर्थात जो 1966 में 400 मिलियन टन था वह बढ़कर 2005 में 40 बिलियन टन हो गया, जबकि भारत के लौह अयस्क भंडार 1955 में 5000 मिलियन टन से बढ़कर 2005 में 25,249 मिलियन टन हुआ। जीएसआई ने 5.71 लाख वर्ग किमी ओजीपी (स्पष्ट भूवैज्ञानिक संभावना) क्षेत्र का पता लगाया है और जीएसआई गभीरस्थ खनिजों तथा ओजीपी के विसंगत क्षेत्र की पहचान पर ज्यादा ध्यान देगा।

पारंपरिक रूप से भारत में गवेषण पर होने वाला खर्च अन्य खनन अर्थव्यवस्थाओ की तुलना में काफी कम है। विश्व गवेषण बजट में भारत का हिस्सा केवल 0.4% है। इसके अलावा, भारत में केवल 11 कंपनियों ने गवेषण गतिविधि की योजना बनाई हैं। भारत को

अपना गवेषण व्यय बढ़ाने की जरूरत है जिससे कि उत्पादन के अनुरूप भंडार विकास रखा जा सके। सरकार ने खनिज गवेषण संबंधी मुद्दों के समाधान हेतु राष्ट्रीय खनिज गवेषण नीति बनाने की दिशा में कार्य किया है।

जीएसआई की उपलब्ध भूवैज्ञानिक रिपोर्टों को डिजीटाइज फॉर्मेट में बदला जा रहा है और खनिजों के विकास और अनुसंधान तथा गवेषण कार्यों में सहायता करने के लिए पब्लिक डोमेन में मुहैया की जा रही है।

**गवेषण हेतु प्रक्रिया का सरलीकरण**

1. ऑनलाइन कोर-बिजनेस इंटिग्रेटिड सिस्टम (ओसीबीआईएस)

- 'अत्याधुनिक' आईटी अनुकूल प्लैटफार्म जिसमें जीएसआई की मुख्य गतिविधियों को एकीकृत किया गया हो।
- स्टेकहोल्डरों के साथ वास्तविक समय सहयोग तथा बातचीत
- पब्लिक डोमेन में भूस्थानिक प्लेटफार्म के अंतर्गत सभी आधारभूत भूवैज्ञानिक डाटा की शेयरिंग

गवेषण परियोजनाओं को शुरू करने हेतु प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, जो गवेषण को बढ़ावा देने के लिए अनिवार्य होगा। इस दिशा में निम्नलिखित कदम उठाए गए है-

- रक्षा मंत्रालय ने पब्लिक डोमेन में आधारभूत भूवैज्ञानिक डाटा को साझा करने के संबंध में लगाए गए प्रतिबंधों पर छूट देने हेतु स्वीकृति दी है।
- डायरेक्ट्रेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन (डीजीसीए) से सर्वेक्षण/विमान संबंधी अनुमोदनों को शीघ्र उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है।
- पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से खनिज गवेषण कार्य हेतु अपेक्षित वन मंजूरियों के लिए प्रावधानों में रियायत का अनुरोध किया है।

**राष्ट्रीय खनिज गवेषण नीति (एनएमईपी)**

मंत्रीमंडल द्वारा 29 जून, 2016 को अनुमोदित किए जाने के बाद राष्ट्रीय खनिज गवेषण नीति अधिसूचित की गई ताकि मुख्य रूप से निजी गवेषण कंपनियों को आकर्षित करने के लिए निजी क्षेत्र की कंपनियों द्वारा की जाने वाली गवेषण गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए एक फ्रेमवर्क प्रदान किया जा सके। एनएमईपी की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित है:-

- राजस्व शेयरिंग मॉडल के माध्यम से निजी एजेंसियों को आकर्षित करना ।
- जनहित के रूप में सरकार द्वारा आधारभूत भू-वैज्ञानिक आंकड़ों का निर्माण तथा वितरण।
- संपूर्ण देश का हवाई-भूभौतिकीय सर्वेक्षण
- एक राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक डाटा भण्डार संग्रह का निर्माण

1. भारत में विशाल खनिज संसाधन, संपदा है तथा अनेक अन्य देशों के लिए भूवैज्ञानिक परिवेश उपलब्ध है। भारत, आस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, दक्षिण एवं मध्य अफ्रीका और दक्षिणी अमेरिका, उसी प्रागैतिहासिक भूभाग जिसे गोंडवानालैण्ड के रूप में जाना जाता है, से संबंधित है और इसकी संभावना है कि इन देशों में मात्रा और ग्रेड की दृष्टि से एक ही प्रकार के खनिज संसाधन होंगे। तथापि, पूर्ण क्षमता को खोजने हेतु देश में पर्याप्त सर्वेक्षण एवं गवेषण कार्य नहीं किया गया है।

2. एमएमडीआर संशोधन अधिनियम, 2015 से खनिज गवेषण से संबंधित विधिक ढांचे में महत्वपूर्ण बदलाव आए है; केवल नीलामी प्रक्रिया के जरिए खनन पट्टा (एमएल) एवं पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति-सह-खनन पट्टा (पीएल-सह-एमएल) सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। नियम में यह भी विनिर्दिष्ट है कि खनन पट्टा की नीलामी के लिए कम-से-कम सामान्य गवेषण (जी2) पूर्ण किया जाना अपेक्षित है और कंपोजिट पट्टे के लिए कम-से-कम प्रारंभिक गवेषण(जी3) पूर्ण किया जाना अपेक्षित है।

3. संशोधित एमएमडीआर अधिनियम के तहत राष्ट्रीय खनिज गवेषण न्यास (एनएमईटी)की स्थापना की गई और खनन पट्टा धारक अथवा पीएल-सह-एमएल धारक न्यास को द्वितीय अनुसूची के अनुसार देय रॉयल्टी के 2% के समतुल्य राशि का भुगतान करेगा। न्यास गवेषण के विकास के लिए क्षेत्रीय एवं विस्तृत गवेषण एवं संबंधित गतिविधियां करेगा ।

4. इस समय देश में गवेषण गतिविधि में अत्यधिक तेजी लाने के कारण सरकार की गवेषण नीति एवं कार्यनीति की समग्र समीक्षा शीघ्र किए जाने की स्थिति उत्पन्न हुई। नई राष्ट्रीय खनिज गवेषण नीति [एनएमईपी] को विभिन्न स्टेकहोल्डरों के साथ परामर्श करके और उनसे प्राप्त सूचना के आधार पर संशोधित विधिक ढांचे के भीतर तैयार किया गया ।

5. सभी मुद्दों पर विचार करने के पश्चात एनएमईपी का मसौदा तैयार किया गया और मंत्रिमंडल ने इसे दिनांक 29.06.2016 को हुई अपनी बैठक में अनुमोदित किया । गवेषण में तेजी लाने के लिए एनएमईपी में निम्नलिखित मुख्य विशेषताएं हैं:-

(i) सरकार जनहित के रूप में आधारभूत भूवैज्ञानिक डेटा का सृजन करेगी । अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रणालियों के अनुरूप स्टेकहोल्डरों को प्रतिस्पर्धात्मक-पूर्व आधारभूत भूवैज्ञानिक डेटा देने के लिए सरकार उच्चतम मानकों का प्रतिस्पर्धात्मक-पूर्व आधारभूत भूवैज्ञानिक डेटा नि:शुल्क उपलब्ध कराएगी [पैरा 4.1]

(ii) भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई) देश में मिशन मोड में हवाई भूभौतिकीय सर्वेक्षण करेगी। शुरू में लगभग 8 लाख वर्ग किमी का संभावित क्षेत्र लिया जाएगा और उसके बाद शेष क्षेत्रों का सर्वेक्षण किया जाएगा। इस महत्वकांक्षी कार्यक्रम से देश का राष्ट्रीय हवाई चुंबकीय एवं स्पेक्ट्रोमेट्रिक मानचित्र तैयार होगा इसके लिए निधि राष्ट्रीय खनिज गवेषण न्यास से ली जाएगी (एनएमईटी) [पैरा 5.7.4] ।

(iii) जीएसआई के भूरासायनिक एवं भूभौतिकीय सर्वेक्षणों के माध्यम से आधारभूत भूवैज्ञानिक डेटा को शीघ्र अधिग्रहित करना । शैलों के लिए भूकालक्रमिक डेटाबेस को बढ़ाना एवं उसके लिए जीएसआई द्वारा हाई रिजोल्यूशन सेंकण्डरी आयन मास स्पेक्ट्रोमीटर की खरीद करना [पैरा 5.4 से 5.6]।

(iv) राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक डेटा भंडार स्थापित किया जाना प्रस्तावित है । जीएसआई केंद्र और राज्य सरकारों की विभिन्न एजेंसियों तथा खनिज रियायत धारकों द्वारा सृजित सभी आधारभूत एवं खनिज गवेषण सूचना को एकत्र करेगा और भूस्थानिक डेटाबेस पर उनका रख-रखाव करेगा [पैरा 8] ।

(v) खनन क्षेत्र के लिए प्रच्छन्न एवं गभीरस्थ खनिज निक्षेपों के गवेषण का कार्य चुनौतिपूर्ण रहा है। लाभ रहित स्वायत्त निकाय/कंपनी नामत: नेशनल सेंटर फॉर मिनरल टारगेटिंग (एनसीएमटी) स्थापित करने का सरकार का प्रस्ताव है जिसका मुख्य उद्देश्य पता लगाए गए प्रच्छन्न एवं गभीरस्थ खनिज निक्षेपों की चुनौतियों के समाधार हेतु सरकार, शैक्षिणक क्षेत्रों और उद्योग के साथ सहयोग करना है [पैरा 14]।

(vi) गवेषण में निजी क्षेत्र की प्रतिभागिता को मौजूदा विधिक ढांचे के अंतर्गत प्रोत्साहित किया जाएगा। एमएमडीआर संशोधन अधिनियम 2015 में अनन्य आवीक्षण अनुज्ञा पत्र की व्यवस्था है। इसके अतिरिक्त, खान मंत्रालय (एमओएम) पता लगाए गए गवेषण ब्लॉकों में गवेषण कार्य करने हेतु निजी गवेषण संस्थाओं की नियुक्ति के लिए गवेषण संविदात्मक ढांचा तैयार करेगा। इन गवेषण गतिविधियों को राष्ट्रीय खनिज गवेषण न्यास की निधि से मदद की जाएगी [एनएमईटी] [पैरा 12] ।

(vii) सरकार देश में गभीरस्थ/प्रच्छन्न खनिज निक्षेपों को प्रमाणित करने के लिए एक विशेष सहायोगात्मक पहल शुरू करेगी। यह आस्ट्रेलिया की अनकवर परियोजना के अनुरूप होगा और इसका उद्देश्य भारत के भूवैज्ञानिक कवर की विशेषताओं के निर्धारण, धातुजनिक विकास तथा गभीरस्थ अयस्क निक्षेपों के दूरस्थ चिन्हों का पता लगाना है [पैरा 10]

(viii) जीएसआई द्वारा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय एवं राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान के सहयोग से सामुद्रिक सर्वेक्षण एवं सामुद्रिक सीमा (टीडब्ल्यू) एवं 20 लाख वर्ग किमी के लगभग अनन्य आर्थिक क्षेत्र (ईईजैड) में गवेषण का कार्य किया जाएगा [पैरा 7] ।

(ix) हमारे देश में विभिन्न अयस्कों के सीमांत/निम्न श्रेणी की गुणवत्ता के मद्देनजर सज्जीकरण तकनीकों पर अधिक ध्यान दिया जाएगा [पैरा 13] ।

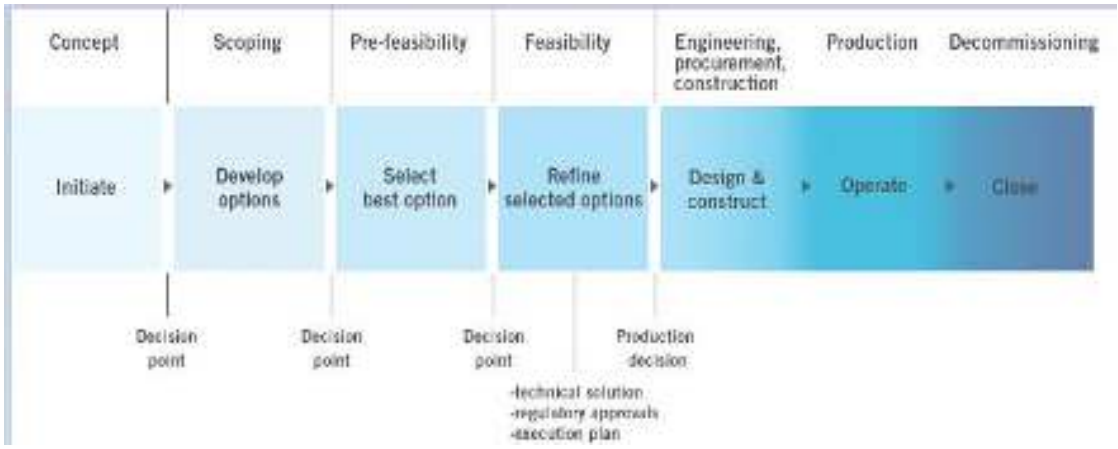


6. एनएमईपी के प्रावधानों के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति का सारांश नीचे दिया गया है:

**(i) जनहित के रूप में सभी हितधारकों को आधारभूत भूवैज्ञानिक आंकड़े नि: शुल्क उपलब्ध कराना-**

भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई) ने सभी पंजीकृत उपयोगकर्ताओं की नि:शुल्क पहुच के लिए उपलब्ध सभी आधारभूत भूवैज्ञानिक आंकडे एक ऑनलाइन भूस्थानिक प्लेटफार्म पर उपलब्ध कराएं हैं । नीति आयोग के पूर्ण दिशा निर्देशों के तहत खान मंत्रालय एवं रक्षा मंत्रालय की संयुक्त समिति में विचार विमर्श के बाद रक्षा मंत्रालय (एमओडी) द्वारा डाटा शेयरिंग पर लगने वाले प्रतिबंधों में रियायत दी गई है। यह आने वाले समय में देश में होने वाले खनिज गवेषण में तेजी लाएगा।

**(ii) देश में गवेषण हेतु हवाई भूभौतिकीय सर्वेक्षण के माध्यम से आधारभूत भूवैज्ञानिक डाटा के सृजन के लिए उच्च क्षमता वाले क्षेत्रों का राष्ट्रीय हवाई भूभौतिकीय मानचित्रण-**

जीएसआई द्वारा 3 वर्षों की अवधि में देश में उच्च खनिज क्षमता वाले 8.13 लाख वर्ग किमी क्षेत्र को कवर करने के लिए एक राष्ट्रीय हवाई-भूभौतिकीय मानचित्रण कार्यक्रम (एनएजीएमपी) का शुभारंभ किया गया । इसकी कुल अनुमानित लागत 351 करोड़ रूपए है तथा यह कार्यक्रम 2019 तक पूरा किया जाना है। यह परियोजना 111 करोड़ रूपए लागतके साथ लगभग 2.06 लाख वर्ग किमी के खनिज क्षमता वाले क्षेत्र को सम्मिलित करते हुए 750 लाख किमी के रेखा क्षेत्र को कवर करने के लिए 07.04.2017 को शुरू की गई। उपरोक्त क्षेत्र को 2017-18 में कवर किए जाने की संभावना है। कार्य की प्रगति की शीघ्रता को मापते हुए 3.12 लाख वर्ग किमी के क्षेत्र के लिए अतिरिक्त निविदाएं आमंत्रित की गई है, वित्तीय बोली की आखिरी तारीख 17.07.2017 है। परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी की चुनाव प्रक्रिया भी अगस्त के पहले सप्ताह तक समाप्त होगी।

**(iii) आधारभूत भूविज्ञान आंकड़ो के अभिग्रहण में तेजी लाना-**

क्षमता वाले क्षेत्रों की त्वरित कवरेज के लिए राष्ट्रीय भूरासायनिक मानचित्रण कार्यक्रम तथा राष्ट्रीय भूभौतिकीय मानचित्रण कार्यक्रम शुरू किए गए है। खान मंत्रालय ने

भूकालक्रम आंकड़ों के लिए 55 करोड़ रूपए की अनुमानित लागत पर सहायक प्रयोगशालाओं और अवसंरचना सहित हाई रिजोल्यूशन सेकेन्डरी आईऑन मास स्पैक्टोमीटर की खरीद के लिए 22.02.2017 को जीएसआई को प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान किया है । इस उपस्कर की खरीद हेतु जीएसआई द्वारा एक वैश्विक निविदा जारी की है।

**(iv) राष्ट्रीय भूविज्ञान आंकड़ा समूह [एनजीडीआर]-विभिन्न केंद्रीय तथा राज्य सरकारी एजेंसियों द्वारा तथा साथ ही खनिज रियायत धारकों द्वारा सृजित सभी बेसलाइन और खनिज गवेषण सूचना का मिलान करने के लिए एक भू-आकृति मंच पर जीएसआई द्वारा सृजित एनजीडीआर-**

जीएसआई द्वारा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट [डीपीआर] तैयार करने हेतु एक परामर्शदाता के चयन के लिए तथा एनजीडीआर की स्थापना कार्यान्वयन एजेंसी (आईए) के चयन के लिए अभिरूचि की अभिव्यक्ति [ईओआई] जारी की है।

**(v) राष्ट्रीय खनिज लक्ष्य केंद्र [एनसीएमटी] – एक विशेषीकृत स्वायत्त निकाय/कंपनी अर्थात खनिज गवेषण में खोज बढ़ाने पर बल देते हुए विशिष्ट प्रायोगिक अनुसंधान उद्यम करने एनसीएमटी का सृजन तथा एनएमईपी में गुणवत्तापूर्ण खोजों का प्रस्ताव है-**

इस मुद्दे पर जीएसआई, एकाडमिया तथा खनिज उद्योग के साथ परिचर्चा तथा कार्यशलाएं आयोजित की गई हैं। एक अवधारणा नोट का मसौदा तैयार किया गया है। विस्तृत मूल्यांकन के पश्चात अनुमोदन हेतु निम्नलिखित पर विचार किया जा रहा है:

- एनसीएमटी आरंभ में हैदराबाद स्थित जीएएसआई के प्रशिक्षण संस्थान में स्थापित किया जाएगा।
- एनसीएमटी शैक्षिक संस्थाओं, खनिज उद्योग, तथा केंद्रीय और राज्य गवेषण एजेंसियों के सहयोग से अनुसंधान परियोजनाएं आरंभ करेगा। यह अनुसंधान परियोजना खनिज उद्योग की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार विकसित की जाएगी।
- यह केंद्र शैक्षिक संस्थाओं के साथ सहयोग से एम.फिल/पीएचडी जैसे शैक्षिक कार्यक्रम भी विकसित करेगा। केंद्र मान्यता-प्राप्त शैक्षिक संस्थाओं के साथ उपयुक्त एमओयू करेगा।

**(vi) खनिज गवेषण में निजी गवेषण एजेंसियों को नियोजित करना- खनिज गवेषण में निजी गवेषण-**

खनिज गवेषण में निजी गवेषण कंपनियों को नियुक्त करने की एक रूप-रेखा को अंतिमरूप दिया गया है। राष्ट्रीय खनिज गवेषण न्यास ने इस प्रयोजन के लिए 13 निजी गवेषण एजेंसियों को सूचीबद्ध किया है।

**(vii) पायलट अनकवर परियोजना- हाल ही में अभिज्ञात ओजीपी से बाहर क्षेत्रों में गहराई में स्थित/छिपे खनिज निक्षेपों का पता लगाने के लिए अनकवर नामक एक विशेष पहल प्रयास आरंभ करना-**

पायलट अनकवर परियोजना आरंभ कर दी गई है और दो खनिज संभावित ट्रांजैक्टों, प्रत्येक लगभग 500 लाइन किमी में, कार्यान्वित की जा रही है। एक उत्तर में बुदेलखंड-अरावली खंड में तथा दूसरा दक्षिण में पूर्व से पश्चिम तक धारवाड़ खंड में है। जियोसांइस आस्ट्रेलिया को एक एमओयू के अधीन इस प्रयोजना के कार्यान्वयन में सहयोजित किया गया है।

**(viii) अपतटीय मानचित्रण एवं गवेषण-**

जीएसआई, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान [एनआईओ] एवं राष्ट्रीय अंटार्कटिक एवं सामुद्रिक अनुसंधान केंद्र [एनसीएओआर] के सहयोग से देश के अनन्य आर्थिक क्षेत्र [एनसीएओआर] के सहयोग से देश के अनन्य आर्थिक क्षेत्र [ईईजैड] की तलाश की जा रही है।

जीएसआई बाथीमेट्री नीचे स्थलाकृति देखें], समुद्री सतह सेडिमेंट वितरण, गुरूत्व, चुम्बकीय आदि जैसा आधारभूत डेटा अधिग्रहित करता है और अभिज्ञात लक्ष्यों पर केंद्रित खनिज अन्वेषण करता है। इसने अपने तीन अनुसंधान पोतों के बेड़ों से सर्वेक्षण एवं गवेषण पर आधारित अपतटीय क्षेत्र में और आगे गवेषण हेतु भारी खनिजों के पूर्वेक्षण क्षेत्रों एवं निर्माण बालू की पहचान की है। इसके अतिरिक्त, 258 करोड़ रूपए की लागत का उथली प्रवेधन क्षमता वाला एक भूतकनीकी पोत की खरीद की जा रही है।

**(ix) अयस्क सज्जीकरण प्रयोगशाला का उन्नयन- हमारे देश में विभिन्न अयस्कों के सीमांत/निम्न श्रेणी की गुणवत्ता के मद्देनजर सज्जीकरण तकनीकों पर ध्यान केंद्रित करना अत्यावश्यक है-**

भारतीय खान ब्यूरो अयस्क सज्जीकरण अध्ययनों को करने के लिए एक मुख्य एजेंसी है। आईबीएम अयस्क सज्जीकरण प्रयोगशाला के उन्नयन के लिए एक कंसेप्ट नोट तैयार कर रहा है। आईबीएम ने प्रारंभ में एक कंसेप्ट नोट प्रस्तुत किया था जिसकी जांच के बाद एक केंद्रित प्रस्ताव तैयार करनेके लिए देश में उपलब्ध तकनीकी विशेषज्ञों से सलाह लेने के लिए आईबीएम से अनुरोध किया गया है। क्योंकि यह उच्च गुणवत्ता वाली प्रौद्योगिकी से संबंधित मुद्दा है।

**अवैध खनन की घटनाओं को करोन के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का उपयोग**

भारतीय खान ब्यूरो ने "सेटेलाइट इमेजरी का प्रयोग करते हुए खनन गतिविधियों की निगरानी तथा आईबीएम में दूरस्थ संवेदी प्रयोगशाला स्थापित करने के लिए तकनीकी सहायता सहित तीन वर्ष के लिए आईबीएम अधिकारियों का क्षमता निर्माण" संबंधी पायलट परियोजना शुरू करने के लिए 21.01.2016 को राष्ट्रीय दूरस्थ संवेदी केंद्र (एनआरएससी), आईएसआरओ के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

मंत्रालय द्वारा आईबीएम, हैदराबाद में दूरस्थ संवेदी प्रयोगशाला स्थापित करने के लिए 2.03 करोड़ रूपए के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन एवं व्यय की संस्वीकृत पहले ही दे दी गई है।

एनआरएससी के प्रोजेक्ट पर ठीक से कार्य हो रहा है। इस प्रौद्योगिकों को अपनाने का मुख्य उद्देश्य खनन उत्खननों का मात्रात्मक अनुमान लगाने के लिए उपयोग करने में समर्थ होना है जोकि व्यापक रूप से खनन की निगरानी का मुख्य मानदंड है और खनन योजना में विशेष रूप से निर्धारित है। आईबीएम हैदराबाद में सुदूर संवेदना सेल की स्थापना पर भी तेजी से कार्य किया जा रहा है।

## 7. खनन निगरानी प्रणाली (एमएसएस)-'आइज वाचिंग फ्राम स्काई'

आसपास में किसी भी अवैध खनन का पता लगाने के लिए भू संदर्भित खनन पट्टे मानचित्र संबंधि एक नवीन उपग्रह छवि को संकल्पित किया गया है। इसके लिए एक ऑनलाइन पोर्टल तथा यूजर फ्रेंडली ऐप तैयार की गई है जो अधिकारियों को रिपोर्ट दें व जनभागीदारी को सक्षम बनाए। खनन निगरानी प्रणाली (एमएसएस) सैटेलाइट-आधारित मॉनीटरिंग प्रणाली है जो मौजूदा खनन क्षेत्रों के आस-पास के क्षेत्रों में कोई भी खनन गतिविधि के लिए ट्रिगर उपलब्ध कर सकते हैं। प्रणाली का उद्देश्य स्वचालित सुदूर संवेदन खोज प्रौद्योगिकी के जरिए अवैध खनन की घटनाओं को रोकने के लिए उत्तरदायी खनिज प्रशासन व्यवस्था की स्थापना करना है। खान

मंत्रालय तथा भारतीय खान ब्यूरो (आईबीएम) ने भास्कराचार्य अंतरिक्ष अनुप्रयोग एवं भू सूचना (वीआईएसएजी), गांधीनगर तथा विद्युत एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की सहायता से एमएसएस का विकास किया । आसपास किसी भी अवैध खनन का पता लगाने के लिए भू संदर्भित खनन पट्टे मानचित्र संबंधि एक नवीन उपग्रह छवि को संकल्पित किया गया है। इसके लिए एक ऑनलाइन पोर्टल तथा यूजर फ्रेंडली ऐप तैयार की गई है जो अधिकारियों को रिपोर्ट दें व जनभागीदारी को सक्षम बनाए। एमएसएस, विश्व में अंतरिक्ष तकनीक का उपयोग कर विकसित की गई ऐसी पहली निगरानी प्रणाली है।

अब तक अवैध खनन गतिविधि की निगरानी एवं नियंत्रण रैण्डम जांच, स्थानीय शिकायतों एवं अपुष्ट सूचना पर आधारित थी। शिकायतों पर कार्रवाई एवं निगरानी सुनिश्चित करने के लिए कोई ठोस तंत्र नहीं था और इस प्रकार इसे अपारदर्शी ढंग से किया जा रहा था जिसमें पक्षपात की संभावना बनी रहती थी।

भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 7 सितम्बर, 2015 को नई दिल्ली में सुशासन एवं विकास में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी आधारित टूल्स एवं अनुप्रयोग विषय पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन में अपने संबोधन में सुप्रशासन हेतु अंतरिक्ष विज्ञान की भूमिका के महत्व पर बल दिया और सभी विभागों से अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के प्रभावी उपयोग की गवेषण करने के लिए कहा। माननीय प्रधानमंत्री के विजन के मद्देनजर राज्य खनन विभागों के साथ अनेक बार चर्चा एवं विचार-विमर्श करने के बाद एमएसएस की संकल्पना को प्रमुख खनिज समृद्ध राज्यों के खनन विभागों के साथ खान मंत्रालय की केंद्रीय समन्वयन-सह-अधिकारिता समिति की दिनांक 15 दिसम्बर, 2015 को हुई बैठक में अंतिम रूप दिया गया।

खनन पट्टों की डिजिटाइज करने की आवश्यकता थी जिसके लिए खसरा/कैडस्ट्रल मानचित्रों के खनन पट्टों को स्कैन किया गया इसके पश्चात आईबीएम द्वारा विसाग की सहायता से भू-संदर्भित व डिजिटाइज किया गया । इन डिजिटाइज मानचित्रों को आईबीएम अधिकारियों द्वारा पूर्ण रूप से वैधता प्रदान की गई । इन डिजिटाइज मानचित्रों को राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र (एनएसआरसी) से प्राप्त नवीन उपलब्ध सुदूर संवेदन चित्रों को उपलब्ध कराया गया ।

यह प्रणाली इस मूल आधार पर कार्य करती है कि अधिकांश खनिजों की उपलब्धता में निरंतरता बनी रहती है और उनकी उपलब्धता पट्टा क्षेत्र तक ही सीमित नहीं रहती है बल्कि आस पास के क्षेत्रों में भी उपलब्ध होने की संभावना होती है। एमएसएस मौजूदा खनन पट्टा सीमा के आस-पास 500 मी के क्षेत्र में किसी भी असमान्य गतिविधि की खोज करता है जो कि अवैध खनन हो सकता है। किसी भी प्रकार की विसंगति पाए जाने पर उसे ट्रिगर के रूप में फ्लैग-ऑफ किया जाता है।

आईबीएम के एक सुदूर संवेदन नियंत्रक केंद्र की स्थापना की गई जिसका एनएसआरसी की सहायता से विस्तार किया गया जो ट्रिगर्स का अध्ययन करेगा और क्षेत्र के सत्यापन हेतु उन्हें जिला स्तरीय खनन अधिकारियों को अंतरित करेगा। मोबाइल ऐप के उपयोग से यह संचालित किए गए प्रचालन में अवैधता का पता लगाएगा और उसकी पुन: रिपोर्ट करेगा।

एक यूजर फ्रेडली मोबाइल ऐप तैयार की गई है जिसका उपयोग इन अधिकारियों द्वारा निरीक्षण के पश्चात अपनी शिकायत रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए किया जाएगा। इस मोबाइल ऐप का उद्देश्य एक ऐसी सहभागीदारी निगरानी प्रणाली की स्थापना करना है जहां नागरिक भी इस ऐप का उपयोग कर सके तथा असामान्य खनन संबंधि रिपोर्ट दर्ज कर सके।

निर्णय सहायक प्रणाली की सुविधा हेतु कार्यकारी डैशबोर्ड उपलब्ध कराया गया है जिससे अधिकारी देशभर के सभी प्रमुख खनिज खनन पट्टों संबंधि खनन पट्टे के मानचित्रण की वर्तमान स्थिति, ट्रिगर्स के कारण ट्रिगर्स के निरीक्षण की स्थिति लगाए गए जुर्माने आदि की वर्तमान स्थिति का पता लगा सकते हैं । यह https://www.ncog.gov.in/mining पर उपलब्ध है।

एमएसएस एक पारदर्शी एवं पूर्वाग्रह युक्त प्रणाली है जिसमें त्वरित अनुक्रिया काल एवं प्रभावी अनुवर्ती कार्रवाई की क्षमता है। "आईज वाचिंग फ्रॉम स्काई" का निवारक प्रभाव, अवैध खनन की घटनाओं को रोकने में अत्यंत उपयोगी साबित होगा ।

इस प्रणाली की जांच पायलेट आधार पर की गई है। एमएसएस द्वारा पाए गए 13 सेम्पल ट्रिगर्स के फील्ड सत्यापन के संचालन के लिए आईबीएम अधिकारियों को नियुक्त किया गया है। इस प्रणाली से 13 मे से 10 मामलों में खनन कार्यकलाप का पता लगाने में सफलता मिली जिनमे से 3 मामले अप्राधिकृत कार्यकलापों के पाए गए है।

पहले चरण में, अक्तूबर, 2017 में देशभर में एमएसएस साफ्टवेयर द्वारा 3994.87 हैक्टेयर के कुछ क्षेत्र को कवर करते हुए कुल 296 ट्रिगर्स का फील्ड सत्यापन राज्य सरकार के जिला/क्षेत्रीय खनन अधिकारियों द्वारा किया जाएगा। इसकी सफलता से प्रभावित होकर राज्य गौण खनिज हेतु इस प्रणाली को लागू करने का कदम उठा रहे है।

**राज्यों द्वारा एमएसएस में निरीक्षण किए गए ट्रिगर्स की संख्या**

| **राज्य** | **कुल ट्रिगर** | **कुल निरीक्षण** | **(%) पूर्ण किया गया** | **पाए गए अप्राधिकृत मामले** |
|---|---|---|---|---|
| हिमाचल प्रदेश | 1 | 1 | 100% | |
| ओडिसा | 11 | 11 | 100% | |
| कर्नाटक | 20 | 20 | 100% | |
| आंध्र प्रदेश | 35 | 35 | 100% | 1 |
| तेलंगाना | 29 | 29 | 100% | 4 |
| महाराष्ट्र | 6 | 6 | 100% | |
| राजस्थान | 8 | 7 | 87% | 1 |
| गोवा | 23 | 23 | 100% | 2 |
| मध्य प्रदेश | 42 | 42 | 100% | 12 |
| तमिलनाडु | 46 | 46 | 100% | 5 |
| गुजरात | 29 | 29 | 100% | 10 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| मेघालय | 32 | 32 | 100% | 12 |
| छत्तीसगढ़ | 8 | 1 | 12.5 % | |
| **कुल** | 6 | 6 | 100% | 1 |
| हिमाचल प्रदेश | **296** | **288** | **97 %** | **48** |

**परिणाम: स्टार रेटिंग प्रणाली के प्रभावी लाभ**

खनन निगरानी प्रणाली (एमएसएस) का उद्देश्य स्वचालित दूरसंवेदी सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से अवैध खनन की घटनाओं की रोकथाम करना है।

खनन निगरानी प्रणाली के मुख्य लाभ निम्न है:

1. **पारदर्शिता:** प्रणाली तक जनसाधारण की पहुंच उपलब्ध कराई।
2. **सहभागिता:** इस ऐप का प्रयोग नागरिक भी कर सकते है और असामान्य खनन गतिविधि की रिपोर्ट कर सकते है।
3. **पूर्वाग्रह-मुक्त:** इस प्रणाली में किसी भी मानव का हस्तक्षेप नहीं है।
4. **निवारक प्रभाव:** 'आईज वाचिंग फ्रॉम स्काई'
5. **त्वरित अनुक्रिया एवं कार्रवाई-** खनन क्षेत्र की नियमित रूप से मानिटरिंग की जाएगी। संवेदनशील क्षेत्र की मानिटरिंग अधिक बार की जाएगी ।
6. **कारगर अनुवर्ती कार्रवाई:** ट्रिगर पर की गई कार्रवाई का पर्यवेक्षण डीएमजी, राज्य खनन सचिव, आईबीएम के राज्य कार्यालय एवं मुख्यालय, खान मंत्रालय, भारत सरकार जैसे विभिन्न स्तरों पर भी किया जाएगा।

एमएसएस की प्रभाविकता साफ तौर पर देखी जा सकती है कि इसके द्वारा 90% से अधिक खनन कार्यकलापों का पता लगाया गया तथा जिनमे से फील्ड निरीक्षण के पश्चातपाया गया कि 48 मामले निश्चित तौर पर अप्राधिकृत खनन के थे।

एमएसएस के विकास से पहले अवैध खनन गतिविधि की निगरानी एवं नियंत्रण रैण्डम जांच, स्थानीय शिकायतों एवं अपुष्ट सूचना पर आधारित थी। शिकायतों पर कार्रवाई एवं निगरानी सुनिश्चित करने के लिए कोई ठोस तंत्र नहीं था और इस प्रकार इसे अपारदर्शी ढंग से किया जा रहा था जिसमें पक्षपात की संभावना बनी रहती थी।

**राज्यों द्वारा लोक शिकायतों का सत्यापन:**

| **राज्य** | **प्राप्त कुल शिकायतें** | **क्षेत्र में सत्यापित शिकायतों की सं.** |
|---|---|---|
| आंध्र | 1 | |
| राजस्थान | 1 | |
| पश्चिम बंगाल | 3 | |
| कर्नाटक | 4 | 0 |
| गुजरात | 5 | 5 |
| मध्य प्रदेश | 1 | 1 |

| | | |
|---|---|---|
| उत्तर प्रदेश | 1 | |
| उत्तराखंड | 1 | |
| **कुल** | **17** | **6** |

अवैध खनन बहुत से खनिज समृद्ध क्षेत्रों में एक स्थानिक समस्या रही है । प्रमुख खनिजों के अवैध खनन मामलों में दर्ज की जा रही एफआईआर का आंकड़ा विगत वर्ष के 400 के स्तर से 2015-16 में 700 के स्तर तक पहुंच गया है । जबकि गौण खनिजों के मामले में स्थिति खराब होती जा रही है, पूर्व वर्ष के 3900 के स्तर की तुलना में 2015-16 में 5300 से अधिक एफआईआर दर्ज की गईं । अवैध खनन मामलों में आई वृद्धि ने दर्शाया कि उक्त को नियंत्रित करने के लिए प्रणालियां अपर्याप्त थी । शामिल हितों और आसानी से परिवर्तनीय प्रणाली का परिणाम लाभार्थियों की मिलीभगत के रूप में हुआ और यह अवैध खनन को नियंत्रित करने में असफल रही ।

एमएसएस एक पारदर्शी और पक्षपात-रहित प्रणाली है, जिसमें तीव्र कार्रवाई समय और प्रभावी फोलोअप की संभावना है । अवैध खनन के मामलों को समाप्त करने में 'आसमान से नजर रखना के निवारक प्रभाव का अत्याधिक लाभ की होगा ।

एमएसएस के आरंभिक परिणाम अत्साहवर्धक रहे हैं । आरंभ में कुल 296 ट्रिगर्स का सृजन किया गया, जिन्होंने 90% से अधिक मामलों में खनन गतिविध का सफलतापूर्वक पता लगाया है और फील्ड सत्यापनों के उपरांत, इनमें से 15% अप्राधिकृत खनन पाया गया । इसकी सफलता से प्रेरित होकर, राज्य गौण खनिजों के लिए इस प्रणाली को कार्यान्वित करने के लिए आगे आ रहे हैं ।

गौण खनिजों के अवैध खनन को समाप्त करने के लिए राज्यों से एमएसएस का उपयोग करने का अनुरोध किया गया है, जहां यह अधिक अनियंत्रित है । गौण खनिजों के लिए एमएसएस को अपनाने हेतु सभी राज्यों का प्रशिक्षण भी बिसाग (बीआईएसएजी) में अक्तूबर, 2017 में किया गया है । 'गौण खनिजों' हेतु एमएसएस के कार्यान्वयन का कार्य राज्य दूरस्थ सवेंदी अनुप्रयोग केंद्रों की मदद से राज्य सरकारों द्वारा किया गया है, राज्यों को इसके अतिरिक्त आवश्यक किसी हैंडहोल्डिंग सहायता आईबीएम और बिसाग के माध्यम से प्रदान की जाएगी ताकि वे गौण खनिजों के अवैध खनन के नियंत्रण और रोकथाम के लिए एमएसएस के कार्यान्वयन में स्पेस तकनीक का प्रयोग करने में समर्थ हो सकें । अभी तक मेघालय के अतिरिक्त सभी राज्यों को प्रशिक्षण के लिए शामिल किया गया है और गौण-खनिजों के मामले में एमएसएस के कार्यान्वयन हेतु उन पर जिम्मेदारी सौंपी गई है । प्रायोगिक आधार पर एमएसएस में गौण खनिजों के लगभग 12,000 पट्टों की प्लांटिंग की गई है ।

मेटी (Meity) और बिसाग (बीआईएसएजी) गौण खनिजों के लिए उक्त के कार्यान्वयन हेतु राज्यों को प्रमुख खनिजों के लिए एमएसएस पोर्टल को बढ़ाने और विस्तार देने पर सहमत हो गए हैं । डैशबोर्ड को उपर्युकत रूप से संशोधित किया गया है । राज्य सरकारों को उनके गौंण खनिज पट्टों को डिजिटाइज करने और उक्त का भू-संदर्भ लेने के लिए कहा गया है ।

## ४. सतत खनन पहलें: खानों की स्टार रेटिंग

माननीय प्रधानमंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी ने 26 सितंबर, 2015 को यूनाइटेड नेशन्स सतत विकास समिट में लगभग 150 विश्व के नेताओं को यूएन जनरल ऐसेंबली को संबोधित किया और कहा ''साझा परंतु विभिन्न उत्तरदायित्वों का सिद्धांत एक सतत विश्व के लिए हमारे उद्यम की रीढ़ है।'' माननीय प्रधानमंत्री के विजन को आगे बढ़ाते हुए, खान मंत्रालय ने, खनन में सतत विकास ढांचा (एसडीएफ) के संपूर्ण और विश्वव्यापक कार्यान्वयन हेतु अपने प्रयास में, खानों की **स्टार रेटिंग** प्रणाली विकसित की है ।

खनन क्षेत्र मे तीव्र आर्थिक विकास में सहायक होने के लिए निरंतर बढ़ रहे कार्यकलापों का भारत साक्षी रहा है । प्राकृतिक संसाधनों का दोहन और पर्यावरण तथा पारिस्थितकी पर इसका प्रभाव अब अधिक महत्वपूर्ण हो गया है । पारिस्थितकी, पर्यावरण पर खनन के प्रतिकूल प्रभाव पड़े हैं जैसे कि जल, वायु और भूमि का प्रदूषण स्थानीय समुदायों के साथ-साथ व्यक्तियों के विस्थापनों पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रहा है । अत: खनन कार्यकलापों और पर्यावरण की सुरक्षा को संतुलित करने की तत्काल आवश्यकता है जो चिंता का विषय है।

खान मंत्रालय ने 2008 में राष्ट्रीय खनिज नीति तैयार की है जिसमें इस बात पर जोर दिया गया है कि सभी खनन विस्तृत एसडीएफ के पैरामीटरों के अंतर्गत किए जाएंगे जोकि इस निर्देशक सिद्धांत पर आधारित होगा कि कोई भी खनिक खनन किए गए क्षेत्र का पुनरूद्धार करेगा और इसके बाद इस खनन क्षेत्र को समुदाय को पहले से बेहतर पारिस्थितकी स्थिति में सौंपेगा ।

खान मंत्रालय ने इसके पश्चात खनन कार्यकलाप करने, समग्र वृद्धि को शामिल करने के लिए, वर्तमान में और भावी पीढ़ी में भी अच्छी तरह से सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय रूप से बिना किसी प्रतिकूल प्रभाव के सतत विकास ढांचा (एसडीएफ) को तैयार किया है । खान मंत्रालय ने खनन फुटप्रिंटों के मूल्यांकन की विश्वसनीय प्रणाली विकसित की है और एसडीएफ का प्रथम प्रायोगिक रोलआउट ओडिशा में मैसर्स टाटा स्टील की सुकिंदा क्रोमाइट खान में शुरू किया गया । तत्पश्चात, बहुत सी अन्य खानों को एसडीएफ के ढांचे के अंतर्गत लाया गया है।

स्टार रेटिंग को भारतीय खान ब्यूरो (आईबीएम), खान मंत्रालय के एक अधीनस्थ कार्यालय के माध्यम से कार्यान्वित किया जाएगा । इसे एक विश्वस्तरीय प्रणाली के तौर पर शामिल किया गया है । जिसमें खान प्रचालक द्वारा स्व-मूल्यांकन टैम्पलेट्स भरने का प्रावधान है जिसका मूल्यांकन भारतीय खान ब्यूरो के माध्यम से किया जाएगा ।

खानों की स्टार रेटिंग के मसौदा मूल्यांकन टैम्पलेट को विस्तृत रूप से परिचालित करने और पणधारियों से सुझाव और टिप्पणियां आमंत्रित करने के लिए मंत्रालय की वेबसाइट पर होस्ट करने के पश्चात तैयार किया गया है । तदुपरांत, एक पणधारी परामर्शी कार्यशाला का आयोजन भी 19 अप्रैल, 2016 को नई दिल्ली में किया गया । इसके पश्चात परामर्शदाता बैठक में प्राप्त सभी सुझावों की समीक्षा करने और एसडीएफ मूल्यांकन टैम्पलेट को अंतिम रूप देने के लिए एक समिति का गठन किया गया । समिति की अध्यक्षता श्री ए.के. श्रीवास्तव, सेवानिवृत्त अतिरिक्त वन महानिदेशक, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने की जिसमें प्रमुख क्षेत्रों में कार्यरत सदस्यों को शामिल किया गया जैसे कि श्री पृथूल कुमार- निदेशक, खान मंत्रालय, श्री पी.एस. उपाध्याय - सेवानिवृत्त निदेशक, एनएमडीसी, श्री पी.एन शर्मा- क्षेत्रीय खान नियंत्रक, भारतीय खान ब्यूरो और फेडेरेशन ऑफ इंडियन मिनरल इंडस्ट्री (फिमी) के प्रतिनिधि । समिति ने कार्यशाला के दौरान दिए गए सुझावों में से प्रत्येक

की समीक्षा करने के पश्चात, खानों की स्टार रेटिंग के लिए मूल्यांकन टैम्पलेट को दिनांक 23.05.2016 की अधिसूचना के माध्यम से अधिसूचित किया गया । यह मूल्यांकन निम्न पैरामीटरों पर आधारित है:

- पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने के लिए वैज्ञानिक और क्रमबद्ध खनन
- खनन से प्रभावित व्यक्तियों के पुन:स्थापन और पुनर्वास के सामाजिक-आर्थिक विकास हेतु स्थानीय समुदाय के सामाजिक, आर्थिक विकास के लिए स्थानीय समुदाय उत्सव और कल्याणकारी कार्यक्रम
- खनन की गई भूमि का वास्तविक से भी बेहतर स्थिति में पुनरूद्धार सुनिश्चित करने के लिए प्रगतिशील और अंतिम खान समापन
- खनन प्रचालनों और रिपोर्टिंग के लिए अंतरराष्ट्रीय मानकों को अपनाना ।

खनन पट्टों के निष्पादन पर आधारित 1 से 5 की स्टार रेटिंग उन खानों को दी जाएगी जो रिपोर्टाधीन अवधि में 180 से अधिक दिन तक प्रचालन करती रही। प्रारंभ में स्टार रेटिंग प्रमुख खनिजों के लिए की जाएगी। स्टार रेटिंग प्राप्त करने के सकारात्मक प्रभाव से खनिकों को तुरंत सतत खनन प्रणालियों को अपनाने की प्रेरणा मिलेगी। प्रारंभ में स्टार रेटिंग पायलट आधार पर मैनुअली की गई थी और 4-5 जुलाई, 2016 को रायपुर में आयोजित प्रथम राष्ट्रीय खान एवं खनिज सम्मेलन में 19 खानों को 4 एवं 5 स्टार्स प्रदान किए गए। स्टार रेटिंग को समयबद्ध तरीके से न्यूनतम 4 स्टार्स प्राप्त करने हेतु एमसीडीआर में सांविधिक प्रावधान शामिल करने पर विचार किया जा रहा है।

खनन क्षेत्र द्वारा पर्यावरणीय संरक्षण की अनुपालना एवं सामाजिक उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रयास के रूप में उपायों के मूल्यांकन के लिए एक वेब समर्थ ऑनलाइन प्रणाली विकसित की गई जिसका शुभारंभ 18 अगस्त को हुआ ।

**परिणाम: स्टार रेटिंग प्रणाली के प्रभाव/लाभ**

खानों की स्टार रेटिंग की नवीन प्रणाली के निम्नलिखित लाभ हैं:

- खनन गतिविधियों से भूमि, वायु एवं जल पर पड़ने वाले पर्यावरणीय प्रभाव को व्यापक रूप से कम करना ।
- ऑनलाइन स्टार रेटिंग प्रणाली सूचना प्रौद्योगिकी की मदद से अत्यधिक उत्तरदायी, पारदर्शी एवं दक्ष होगी। यह ऑनलाइन प्रणाली खनन टेनमेंट प्रणाली तथा मौजूदा ऑनलाइन विवरण प्रणाली के साथ एकीकृत की जाएगी। इसमें आईबीएम द्वारा एक प्लैटफार्म पर खनन क्षेत्र से संबंधित विभिन्न तकनीकी, पर्यावरणीय एवं सामाजिक डेटा शामिल किया जाएगा, जिसका उपयोग बेहतर प्रबंधन एवं अनुपालना की निगरानी के लिए किया जाएगा। पूर्व की प्रणाली निगरानी के केवल तकनीकी पक्ष तक ही सीमित थी।
- खनन एवं परिरक्षण गतिविधियों से संबंधित सूचना की पब्लिक डोमेन पर उपलब्धिता से अधिक पारदर्शिता आएगी और स्टेकहोल्डरों की प्रतिभागिता से विवादों का शीघ्र समाधान होगा।
- खनित क्षेत्रों के पुनर्स्थापन की गहन निगरानी और अंतत: खनन क्षेत्र को जिस स्थिति में प्राप्त किया गया था उस से बेहतर पारिस्थितिकी स्थिति में समुदाय को सौंपना।
- उच्चतम मानकों को अपनाने हेतु प्रोत्साहित करना एवं बेहतर प्रणालियों को साझा करना।
- हाल के वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि में उछाल के साथ-साथ खनन क्षेत्र की गतिविधि में बढ़ोत्तरी देखी गई जो तेजी से आर्थिक विकास के लिए सहायक है। प्राकृतिक

संसाधनों का संदोहन और पर्यावरण तथा पारिस्थितिकी पर इसका प्रभाव काफी अधिक पड़ता है। खनन के पारिस्थितिकी, पर्यावरण पर पड़ने वाला प्रतिकूल प्रभाव जैसे जल, वायु एवं भूमि संबंधी प्रदूषण स्थानीय समुदायों तथा लोगों के विस्थापन पर पड़ने वाला प्रतिकूल चिंता का विषय रहा है। अवैध खनन की घटनाओं से पारिस्थितिकी पर और अधिक दुष्प्रभाव पड़ा और उपलब्ध सीमित अवसंरचना के कारण हमें खनन गतिविधि के लिए पूरी तरह से एक अलग दृष्टिकोण अपनाना पड़ा । समाज खनन गतिविधि के प्रति अधिक संवेदनशील है और खनन गतिविधि के आर्थिक लाभ और संदोहन से हमारे प्राकृतिक संसाधनों, पारिस्थितिकी आदि पर पड़ने वाले दबाव के बीच वाद-विववाद करना काफी महत्वपूर्ण हो गया है।

- खनन के लिए सतत विकास ढ़ांचे के विस्तृत एवं व्यापक कार्यान्वयन के अपने प्रयास के रूप में खान मंत्रालय द्वारा विकसित खानों की स्टार रेटिंग की नवीन प्रणाली अन्य लाभों के साथ-साथ खनन की सांविधिक शर्तों की अनुपालना एवं सर्वोत्तम प्रणालियों को अपनाने के लिए एक स्वचालित तंत्र तैयार करेगा। इससे खनन गतिविधियों के कारण पारिस्थितिकी पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों का प्रर्याप्त रूप से समाधान होगा। इसके अलावा, स्टार रेटिंग प्रणाली के द्वारा खनित क्षेत्रों के सतत पुनर्स्थापन की गहन निगरानी से अंतत: समुदाय को खनन क्षेत्र बेहतर पारिस्थितिकी स्थिति में सौंपना सुनिश्चित होगा।
- वर्ष 2016-17 के लिए सभी 1043 खानों के ऑनलाइन दर्ज टेम्पलेट्स में से 444 खानों का 4 एवं 5 स्टार रेटिंग के रूप में स्व मूल्यांकन किया गया । 533 खानों का विधिमान्य संबंधी कार्य पूरा किया गया और 61 खानों को 5 स्टार रेटिंग प्रदान की गई जबकि 204 खानों को 4 स्टार रेटिंग दी गई। वर्ष 2015-16 एवं 2016-17 की वर्षवार स्थिति निम्नलिखित है-

**वर्ष 2015-16 एवं 2016-17 के लिए स्टार रेटिंग की वर्षवार स्थिति**

| | वर्ष **2015-16** | | वर्ष **2016-17** | |
|---|---|---|---|---|
| | **स्व मूल्यांकन** | **विधि मान्यकरण के बाद** | **स्व मूल्यांकन** | **विधि मान्यकरण के बाद** |
| 5 स्टार रेटिंग प्राप्त करने वाले कुल पट्टाधारियों की संख्या | 74 | 34 | 162 | 61 |
| 4 स्टार रेटिंग प्राप्त करने वाले कुल पट्टाधारियों की संख्या | 169 | 106 | 282 | 204 |
| 3 स्टार रेटिंग प्राप्त करने वाले कुल पट्टाधारियों की संख्या | 256 | 71 | 286 | 196 |
| 2 स्टार रेटिंग प्राप्त करने वाले कुल पट्टाधारियों की संख्या | 63 | 4 | 140 | 24 |
| 1 स्टार रेटिंग प्राप्त करने वाले कुल पट्टाधारियों की संख्या | 89 | 2 | 153 | 52 |
| 0 स्टार रेटिंग प्राप्त करने वाले कुल पट्टाधारियों की संख्या | 5 | 0 | 20 | 5 |
| **कुल** | **656** | **217** | **1043** | **542** |

* केवल 4 स्टार और 5 स्टार की वैधता।

स्टार रेटिंग प्रणाली को कुशल और उत्तरदायी खनन प्रैक्टिस संबंधी उपायों को अपनाने के लिए गौण खनिजों को भी कवर करने की आवश्यकता है। केंद्र सरकार द्वारा गौण खनिजों की स्टाररेटिंग के लिए टेम्पलेट विकसित की गई है और 30.01.2018 को राज्यों में परिचालित किया गया। यह गौण खनिजों के लिए स्टार रेटिंग शुरू करने का अधिकार राज्यों को देती है जो गौण खनिज पट्टों में सतत् विकास अवसंरचना को अपनाने में सहायता करेगा। टेम्पलेट की प्रगति अनुबंध-I में संलग्न है।

## 9. सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग

सूचना प्रौद्योगिकी को खनिज प्रशासन की सरकारी क्षमता में सुधार करने के लिए शुरू किया गया। कुछ राज्य अर्थात् ओडिशा, राजस्थान, मध्य प्रदेश आदि इसमें आगे हैं तथा उन्होंने पहले ही खनिज प्रशासन के क्षेत्र में आईटी को शुरू किया है।

राष्ट्रीय खनिज नीति, 2008 देश में खनिज रियायत के आवंटन और प्रबंधन में अधिक पारदर्शिता लाने की आवश्यकता की व्याख्या करती है। नीति में महत्वपूर्ण रूप से पट्टा आवेदन, समाप्ति और नवीकरण की स्थिति सहित रियायत डाटा की व्यवस्थित प्रबंधन के लिए खनन टेनेमेंट पंजीयन विकसित करने पर जोर दिया गया है। खनिज रियायत व्यवस्था में पंजीयन ई-समर्थ प्रक्रिया के दौरान, इस वेब-आधारित प्रणाली को जीआईएस के साथ भी समाकलित किया जाएगा। जिससे कि सूचना को मानचित्र आधारित सर्विस के रूप में स्थानिक रूप से दर्शाया जा सके।

इसमें खनन टेनेमेंट प्रणाली (एमटीएस) विकसित करने की अवधारणा पर जोर देती है जो मुख्यत: संपूर्णरियायत चक्र जो क्षेत्र की पहचान से शुरू होकर खान समापन तक होगी; को कवर करती है तथा विभिन्न पणधारकों को इलेक्ट्रानिक फाइलों को सही समय पर स्थानांतरित करने तथा डाटा का विनिमय करने के लिए एक दूसरे से जोड़ता है। यह खनिज रियायत व्यवस्था के प्रभावकारी प्रबंधन तथा केंद्र और राज्यों के प्रचालनों में पारदर्शिता को समर्थ करेगा। सामरिक स्तर पर प्रचालनों की दक्षता में वृद्धि होगी तथा कार्यनीतिक स्तर पर अंत: क्षेप और नीति निर्णय संबंधी बटन को किल्क करने पर प्रबंधन सूचना उपलब्ध होगी।

आईबीएम द्वारा एक नई स्कीम शुरू की गई जिसमें वर्ष 2009-10 कार्यक्रम से शुरूआत की गई है। स्कीम का उद्देश्य देश के खनिज संसाधनों के प्रशासन में लगे हुए केंद्र और राज्य संगठनों को जोड़ने के द्वारा निवेशकों के लिए ऑनलाइन राष्ट्रीय खनिज सूचना प्रणाली विकसित करना है। खनन टेनेमेंट प्रणाली में शाब्दिक रूप में सूचना के साथ-साथ ग्राफिकल सूचना डाटाबेस (जीआईएस) होगा।

खनन टेनेमेंट प्रणाली (एमटीएस) जिसमें प्रमुखतया संपूर्ण खनिज रियायत चक्र जो क्षेत्र की पहचान से शुरू होकर खान समापन तक होगा का स्वचालन शामिल होगा; तथा इलैक्ट्रोनिक फाइलों का सही समय पर हस्तांतरण तथा डाटा के विनिमय हेतु विभिन्न पणधारकों को जोड़ता है1 यह खनिज रियायत व्यवस्था की प्रभावकारी प्रबंधन तथा खनन प्रचालनों में

पारदर्शिता, ऑनलाइन इलैक्ट्रानिक वे ब्रिजों तथा चेक-पोस्ट की सहायता से अयस्क के परिवहन को समर्थ करेगा।

इसमें रजिस्ट्रेशन, रिटर्न, अयस्क लेखा प्रणाली, खान योजना, मोबाइल ऐप, स्टार रेटिंग, खनिज रियायत प्रबंधन, आईबीएम अधिकारियों का निरीक्षण, जीआईएस, खान समापन, पुनरीक्षण आदि मॉडयूल्स हैं ।

इसमें पीएमकेकेकेवाई निगरानी के लिए वेबपोर्टल को भी शामिल किया गया है ।

इसमें केंद्र और राज्यों की सरकारी ऐजेंसियों जैसे आईबीएम, खान मंत्रालय, जीएसआई, राज्य सरकारें, आदि के विविध पणधारी, खनन और सहबद्ध उद्योग जैसे खनिकों, ट्रांसपोर्टरों, स्टांकिस्ट, ट्रेडर्स आदि शामिल किए गए हैं । एमटीएस सॉफ्टवेयर को, इसके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए, न केवल राज्यों की वर्तमान आईटी प्रणालियों के साथ वरन बहुत से अन्य वर्तमान आईटी अनुप्रयोगों जैसे आधार, आरटीओ आंकड़े, जीएसटी आदि के लिए भी शामिल किया जाएगा । एसटीएसस, एक बार विकसित होने पर, सूचना के वास्तविक समय आदान-प्रदान के लिए उद्योग के विभिन्न पणधारियों को जोड़ने वाले खनन क्षेत्र के लिए आधारभूत आईटी ढांचा तैयार करेगा ।

माइनिंग टेनेमेंट प्रणाली हेतु कार्यान्वयन ऐजेंसी को आईबीएम द्वारा नवंबर, 2016 में पहले ही उपलब्ध करा दिया गया है । मूलभूत कार्यान्वयन प्रथम वर्ष में ही पूर्ण हो जाएगा ।

इसके अतिरिक्त एमटीएस में अयस्क लेखांकन प्रणाली (ओएएस) मॉड्यूल खनिजों के उत्पादन डिस्पैच, रॉयल्टी/अन्य राजस्वों का संग्रहण और ऑनलाइन परिवहन परमिटों के निर्गमन से लेकर खनिज प्रशासन से डिजिटाइजेशन के सर्वाधिक अनिवार्य पहलूओं को शामिल किया गया है । यह राज्य सरकारों द्वारा खनिज प्रशासन हेतु, राज्यों के लिए अत्यधिक लाभकारी होगा ।

एमटीएस के माध्यम से खनिज प्रशासन की प्रक्रियाओं का डिजिटाइजेशन, अवैध खनन के मामलों की रोकथाम अथवा बिना किसी कानूनी प्राधिकार के खनिजों के उत्पादन/प्रेषण के मामलों को रोकने के राज्यों के द्वारा किए जा रहे प्रयासों को सुदृढ़ किया जाएगा ।

एसटीएस के रजिस्ट्रेशन और रिटर्न मोड्यूल के साथ पीएमकेकेकेवाई निगरानी हेतु पोर्टल का उद्घाटन भी माननीय खान मंत्री, श्री नरेन्द्र सिंह तोमर द्वारा सम्मेलन में पुरस्कार समारोह के दौरान किया जाएगा । एमटीएस में मुख्य रूप से संपूर्ण रियायत जीवनचक्र का स्वचालन शामिल है, क्षेत्र के चिन्हीकरण से आरंभ होकर खान समापन के साथ समाप्ति तक, और इलेक्ट्रोनिक फाइलों के वास्तविक समय अंतरण और आंकड़ों के आदान-प्रदान के लिए विभिन्न पणधारियों का जोड़ना । माइनिंग टेनेमेंट प्रणाली हेतु विप्रो लिमिटेड कार्यान्वयन ऐजेंसी है जिसे भारतीय खान ब्यूरो ने इसके विकास और कार्यान्वयन हेतु नियुक्त किया है ।

रजिस्ट्रेशन और रिटर्न मोड्यूल के वर्तमान 14500 उपयोगकर्ताओं को नई प्रणाली में स्थापित किया जाएगा । दैनिक रिटर्नों को मोबाइल ऐप अथवा ऑनलाइन पोर्टल पर सीधे ही भरा जा सकता है । मासिक रिटर्नों की फाइलिंग , इस माह के रिटर्न से शुरू होने वाली नई प्रणाली में की जाएगी । एमटीएस सॉफ्टवेयर को इसके कार्यान्वयन के लिए, न केवल राज्यों की वर्तमान आईटी प्रणालियों के साथ वरन बहुत से अन्य वर्तमान आईटी अनुप्रयोगों जैसे आधार, आरटीओ आंकड़े, जीएसटी, आदि के लिए भी शामिल किया जाएगा ।

एसटीएस, अवैध खनन, रॉयल्टी बचाव आदि की संभावना को कम करते हुए और खनिज क्षेत्र के संबंध में डाटा प्रोसेसिंग को बढ़ाते हुए, पिटहेड से इसके अंत्य उपयोग तक देश में उत्पादित सभी खनिजों की राष्ट्रीय स्केल एकाउंटिंग में शुरूआत से अंत तक सहायक होगा ।

प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना (पीएमकेकेकेवाई) स्कीम को जिला खनिज फाउंडेशन (डीएमएफ) के अंतर्गत एकत्रित निधियों द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा जिसका उपयोग खनन से प्रभावित क्षेत्रों के कल्याण और विकास के लिए किया जाएगा । पीएमकेकेकेवाई के कार्यान्वयन की निगरानी हेतु पोर्टल को एमटीएस परियोजना के नियंत्रण परिवर्तन हेतु प्रावधान के माध्यम से कार्यान्वित किया जाएगा जिसका उद्देश्य निधि संग्रहण के लिए ओएएस के साथ इसका बैकवर्ड एकीकरण है ।

पीएमकेकेकेवाई के निगरानी पोर्टल हेतु मॉड्यूल में निधियों के संग्रहण और उपार्जन से लेकर परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु इसके उपयोग और निगरानी तक का कार्य शामिल है ।

पोर्टल का उपयोग न केवल केंद्र और राज्य स्तर से निगरानी के परिप्रेक्ष्य में किया जाएगा वरन यह प्रत्येक जिला स्तर पर, जहां डीएमएफ की स्थापना की गई है, निधि संग्रहण की ऑनलाइन निगरानी और परियोजना कार्यान्वयन में भी सहायक होगा ।

यह पोर्टल स्थानीय लोगों और अधिकतम पारदर्शिता को सुनिश्चित करने की दिशा में कार्य कर रहे अन्य पणधारियों के लिए कार्यान्वित किए जा रहे कार्यों की प्रगति के बारे में प्रमुख सूचनाओं का प्रसार करेगा । यह पीएमकेकेकेवाई के अंतर्गत परियोजनाओं के कार्यान्वयन में प्रभावित व्यक्तियों और पणधारियों की भागीदारी के दृष्टिकोण में सहायता करेगा और उनकी समस्याओं को सुधारने में सहायता करेगा ।

इनपुट और निगरानी के लिए यूजर इंटरफेस का सृजन प्रणाली में जिला स्तर पर किया जाएगा । पीएमकेकेकेवाई के अंतर्गत परियोजनाओं के कार्यान्वयन के बारे में बेसिक डाटा इनपुट का कार्य संबंधित डीएमएफ द्वारा किया जाएगा जैसे परियोजना विवरण, आरंभ तिथि, लक्ष्य

तिथि, मंजूर और व्यय की गई राशि, प्रगति, जीआईएस समर्थ निगरानी, लाभार्थी, प्रभावित व्यक्ति और क्षेत्र, आदि ।

## 10. अवैध खनन और इसकी रोकथाम

(i) अवैध खनन का अभिप्राय बिना किसी आवीक्षण परमिट अथवा पूर्ववेक्षण अनुज्ञापत्र के किसी क्षेत्र में, किसी कंपनी अथवा किसी व्यक्ति द्वारा जैसा भी मामला हो, किया जाने वाला आवीक्षण, पूर्ववेक्षण अथवा खनन प्रचालन है, एमएमडीआर अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (I) के तहत एक खनन पट्टे का होना अपेक्षित है । खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा 23ग राज्य सरकारों को अवैध खनन की रोकथाम हेतु नियम बनाने का अधिकार देती है तथा राज्य सरकारें, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा अवैध खनन की रोकथाम, परिवहन तथा खनिज भंडारण और राज्य में उससे संबंधित उद्देश्यों हेतु ऐसे नियम बना सकती है ।

(ii) एमएम (डी एंड आर) अधिनियम 1957 के तहत कथित धारा के प्रावधानों की अनुपालना में खान मंत्रालय ने अवैध खनन की रोकथाम हेतु एक तीन स्तरीय रणनीति का निर्माण किया है अर्थात आईबीएम से एक प्रतिनिधि के साथ जिला व राज्य स्तर पर राज्य सरकार द्वारा टास्क फोर्स का गठन, एमएमडीआर अधिनियम 1957 की धारा 23ग के तहत नियमों का निर्माण और केंद्रीय सरकार द्वारा अवैध खनन पर त्रैमासिक रिर्टन की प्रस्तुति हेतु समीक्षा ।

(iii) राज्य स्तर टास्क फोर्स का गठन:- 22 राज्य सरकारों ने एक साथ मिल कर टास्क फोर्स का गठन किया है । नामत: आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडू, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल । इस टास्क फोर्स का कार्य विभागों के सदस्यों द्वारा अपने संवंधित न्याय क्षेत्र में अवैध खनन कार्यकलापों की जांच हेतु उठाए गए कदमों की समीक्षा करना है ।

(iv) एमएम (डी एंड आर) अधिनियम, 1957 की धारा 23ग के तहत नियमों का निर्माण: 20 राज्य सरकारों ने एक साथ मिलकर अवैध खनन को रोकने के लिए एमएमडीआर अधिनियम, 1957 की धारा 23ग के तहत नियमों का निर्माण किया है । नामत: आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, नागालैंड, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडू, उत्तरप्रदेश, उत्तरांचल और पश्चिम बंगाल ।

(v) अवैध खनन पर तिमाही रिपोर्ट की प्राप्ति :-

राज्य सरकार अवैध खनन की रोकथाम संवंधि तिमाही रिटर्न आईबीएम को जमा करती है । आईबीएम, विभिन्न राज्य सरकारों से रिटर्न प्राप्त होने पर होने वाली रिटर्न सूचना को समेकित कर नियमित रूप से प्रत्येक तिमाही के अंत तक मंत्रालय को भेजता है ।

## प्रमुख खनिजों के अवैध खनन के मामले को दर्शाने वाला वर्ष-वार एवं राज्य-वार विवरण

| अवैध खनन के मामले | | | | | | | 2013-14 से 2017-18 तक की गई कार्रवाई (सितंबर, 2017 को समाप्त तिमाही तक) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| क्र.सं | राज्य | 2013 – 14 | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | 2017– 18 (सितंबर, 2017 को समाप्त तिमाही) | दर्ज एफआईआर (सं) | दर्ज न्यायिक मामले (सं.) | जब्त वाहन (सं.) | राज्य सरकार द्वारा वसूल किया गया जुर्माना (लाख रू. में) |
| 1 | आंध्र प्रदेश | 7692 | 9379 | 9953 | 9703 | 4063 | 3 | 12 | 3 | 14323.275 |
| 2 | छत्तीसगढ़ | 3994 | 4953 | 5862 | 4794 | 2227 | 2 | 21787 | 1138 | 3338.376 |
| 3 | गोवा | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | गुजरात | 5447 | 5716 | 6499 | 8325 | 4586 | 382 | 29 | 20715 | 15667.05 |
| 5 | झारखंड | 901 | 1162 | 1645 | 694 | 204 | 2335 | 343 | 3048 | 389.74 |
| 6 | कर्नाटक | 8509 | 8464 | 9185 | 5692 | 2830 | 1798 | 468 | 11497 | 11163.03 |
| 7 | मध्य प्रदेश | 6725 | 8173 | 13627 | 13880 | 7854 | 516 | 41299 | 2978 | 113206.21 |
| 8 | महाराष्ट्र | 36476 | 32717 | 33621 | 31173 | 10797 | 794 | 1 | 144784 | 28178.52 |
| 9 | ओडिसा | 76 | 104 | 62 | 45 | 25 | 0 | 4 | 77 | 1111.407 |
| 10 | राजस्थान | 2953 | 2945 | 3661 | 3945 | 2025 | 2536 | 37 | 11248 | 6794.672 |
| 11 | तमिलनाडु | 1078 | 205 | 58 | 56 | n. r | 10734 | 1 | 35166 | 12285.82 |
| 12 | तेलंगाना | - | 3311 | 6538 | 5839 | 3203 | 0 | 0 | 4 | 5314.43 |
| **कुल योग** | | **73852** | **77129** | **90713** | **84146** | **37814** | **19101** | **63981** | **230659** | 211772.5 |

n.r.* (राज्य सरकार द्वारा सूचित नहीं किया गया)

## 11. बालू खनन हेतु सिफारिशें:

4 मई, 2017 को राज्य खनन मंत्रियों के सम्मेलन में लिए गए निर्णय के अनुसरण में, असम, छत्तीसगढ, कर्नाटक, तेलंगाना तथा उत्तर प्रदेश राज्यों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ केंद्रीय खान सचिव की अध्यक्षता में विभिन्न राज्यों में बालू खनन की विद्यमान प्रणाली का अध्ययन करने तथा इस क्षेत्र से संबंधित मांग और आपूर्ति, अवैध खनन मुद्दों, एमएसएस के उपयोग, बालू मूल्य निर्धारण, एम-बालू (विनिर्मित बालू) की व्यवहार्यता तथा बालू के आयात, परीक्षण सुविधाएं तथा बालू की क्वालिटी, खनिज रियायतों का आकार आदि समस्याओं के समाधान के लिए अनुप्रयोजन हेतु एक मॉडल के रूप में व्यापक बालू खनन नीति/दिशा-निर्देशों का सुझाव देने के लिए 18 मई, 2017 को एक समिति का गठन किया गया था।

इस समिति ने बालू खनन तथा उपयोग, गौण खनिज नियमों/14 राज्यों के बालू खनन नियमों, मांग आपूर्ति आकलन, बालू पहुंच स्थलों की पहचान, राज्यों द्वारा तैयार की जा रही जिला सर्वेक्षण रिपोर्टों की क्वालिटी का आकलन, बाउल्डर खदानों की आवंटन पद्धति, आयातित बालू के लिए गुणवत्ता जांच मानकों, प्रमुख उपभोक्ताओं तथा सरकारी एजेंसियों द्वारा बालू की सोर्सिंग और अर्द्धयांत्रिक एवं यांत्रिक खनन के कानूनी पहलुओं की विद्यमान पद्धतियों का अध्ययन किया है।

समिति की रिपोर्ट को संभवत: तब तक अंतिम रूप दे दिया जाएगा। माननीय खान मंत्री, श्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने सम्मेलन समारोह में रिपोर्ट जारी करने की सहमति दे दी है।

## 12. विविध

### अपतटीय खनन आरंभ करना

- देश में अपतटीय खनन कार्यकलाप आरंभ नहीं किए गए हैं । इन्हें आरंभ करने के लिए मंत्रालय अपतट ब्लॉकों के आवंटन हेतु विधायी ढांचे में संशोधन कर रहा है । एसबीआई कैप्स को अधिनियम तथा नियमों में संशोधन करने हेतु प्रबंधन सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है ।

### गौण खनिज नियम

- दीपक कुमार के मुकदमें (2009 की विशेष अनुमति याचिका (सी) सं. 19628-19629 में 2011 का ओए सं. 1213) में उच्चतम न्यायलय के दिनांक 27/02/2012 के निर्णय के अनुसरण में, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के अधीन मंजूरी को किसी भी क्षेत्र में खनन पट्टे के लिए अनिवार्य बना दिया गया था । खान मंत्रालय ने गौण खनिजों के खनन के लिए दिशा-निर्देशों का मसौदा तैयार किया है जिसे राज्य सरकारों को परिचालित किया गया था । धारा 20क के अधीन मंत्रालय द्वारा जारी निर्देशों के प्रत्युत्तर में राज्यों द्वारा कार्रवाई की जाती थी ताकि राज्यों के मुख्य मंत्रियों को खान मंत्रालय के दिनांक 24.11.2015 के अ.शा. पत्र सं. 16/119/2015-एम-VI/220 के विशेष आलोक में गौण खनिज रियायतें प्रदान करने के लिए पारदर्शी प्रणालियां कार्यान्वित की जा सकें ।

### खान मंत्रालय की कौशल योजना:

- खान मंत्रालय की एक कौशल योजना तैयार की गई है जिसे रायपुर में 4-5 जुलाई, 2016 को प्रथम राष्ट्रीय सम्मेलन में जारी किया गया था ।
- कौशल योजना इस बात को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई है कि यह कार्यदल को विकास की और आने वाले समय में भारतीय खनन उद्योग की बढ़ती हुई आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संसाधनों में समर्थ बन सके । मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं:
    - कर्मचारियों के वर्तमान अनिवार्य कौशल स्तर प्राप्त करने के लिए जॉब प्रोफाइलिंग तथा आकलन एवं खनन उद्योग के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक हैं।
    - कामगारों के लिए प्रशिक्षण केंद्रों का डिजाइन तैयार करना एवं स्थापना करना।
    - कामगारों, पर्यवेक्षकों तथा कंपनियों के लिए सूचना एवं स्थल प्रशिक्षण में सुधार हेतु मेन्टा-शिप-ऑन-द-जॉब कार्यशालाओं के लिए क्षमताएं विकसित करना।
    - कार्यदल विकास कार्यक्रमों का डिजाइन एवं स्थान पर उपलब्धि जिससे तकनीकी प्रशिक्षण एवं ऑन-द-जॉब कार्य-निष्पादन में सफलता में वृद्धि हो।
    - कौशल प्रशिक्षण कार्यस्थल सफलता के अनुरूप होगा।

### भावी कार्य

- मंत्रालय द्वारा आरंभ किए जा रहे उपायों से निजी सेक्टर की अधिक भागीदारी में सहायता मिलेगी।
- इससे भारत में खनन कार्य करने के लिए अनुकूल वातावरण बनेगा।
- सुधारों की नई व्यवस्था से खनन क्षेत्र में विभिन्न अपेक्षित सुधारात्मक परिवर्तन आंएगे।

**अनुबंध- I**

# गौण-खनिजों की खानों के स्टार रेटिंग के लिए स्व: आकलन टेमपलेट

**रिपोर्टिंग वर्ष (आरआई):_____**

**भाग-क : समान्य जानकारी**

| क्र. सं. | विवरण | ब्यौरा | |
|---|---|---|---|
| **पट्टा विवरण** | | | |
| 1 | पट्टे के लिए राज्य सरकार द्वारा दी गई यूनिक पट्टा आईडी का आबंटन किया गया | | |
| 2 | पट्टा सीमा कोर्डिनेटस (अक्षांश एवं देशांतर) | अक्षांश ☐ ☐ ☐ | देशांतर ☐ ☐ ☐ (जरूरत के अनुसार बढ़ाए जा सकते है) |
| 3 | खसरा /सर्वेक्षण संख्या | | |
| 4 | तालुका/तहसील | | |
| 5 | ग्राम | | |
| 6 | जिला | | |
| 7 | राज्य | [ड्राप डाउन मेन्यू] | |
| 8 | कुल पट्टा क्षेत्र (हे.)<br>(i) वन भूमि (हे.)<br>(ii) निजी भूमि (हे.)<br>(iii) राजस्व भूमि (हे.)<br>(iv) चारगाह भूमि (हे.)<br>(v) अन्य, यदि कोई (विशेष) (हे.) | | |
| 9 | खनिज (ओं) | पांच खनिजों के लिए स्थान और 'अन्य' [ड्राप डाउन मेन्यू] | |
| 10 | पट्टा क्षेत्र में उपलब्ध कुल संसाधन (खनिज-वार) (टन) | पांच खनिजों के लिए स्थान [संख्यात्मक विषय] | |
| 11 | पट्टा अवधि (से- तक) | दि./माह/वर्ष से दि./माह/वर्ष तक | |
| **पट्टा विवरण** | | | |
| 12 | नाम (कंपनी या सहभागिता फर्म के मामले में कृपया प्रबंध निदेशक या प्रबंध सहभागिता के नाम के साथ कंपनी/सहभागिता के नाम के साथ कंपनी/सहभागिता फर्म के नाम को उपलब्ध कराएं, जैसा कि मामला हो सकता है/मालिकाना फर्म के मामले में मालिक का नाम) | | |
| 13 | पट्टों के प्रकार (व्यक्ति/कंपनी/सहभागिता फर्म/अन्य) | [ड्राप डाउन मेन्यू] | |
| 14 | पता | | |
| 15 | मोबाई नं. | | |
| 16 | ई मेल पता | | |
| **कार्य का विवरण** | | | |
| 17 | खनन पद्धति (खुला मुहाना/भूमिगत/खुला मुहाना एवं भूमिगत/खदान) | सभी तीन विकल्पों के साथ ड्राप डाउन मेन्यू | |
| 18 | फाइलिंग की तारीख को पट्टे की स्थिति (कार्यशील/अस्थाई/बंद/गैर-कार्यशील/स्थगनाधीन) | [ड्राप डाउन मेन्यू] | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 19 | रिपोर्टिंग वर्ष के दौरान कार्यों दिवसों की संख्या | | |
| 20 | रिपोर्टिंग वर्ष के दौरान अस्थाई रूप से स्थगित दिनों की सं. | | |
| 21 | रिपोर्टिंग वर्ष के दौरान निरस्त की गई दिनों की सं. | | |
| 22 | स्टार टेम्पलेट के लिए फाइलिंग को सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी एजेंट/प्रबंधक का नाम एवं संपर्क विवरण (स्वामी अपने आपको एजेंट/प्रबंधक के रूप में नामित कर सकते है) | | |
| **सरकारी एजेंसियों से प्राप्त अनुमोदन/सहमति** | | | |
| 23 | राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित योजना दस्तावेज (खदान योजना/खान योजना/खनन स्कीम) का विवरण | वैधता (दि./माह/वर्ष तक) और अनुमोदित मात्रा | |
| 24 | प्राप्त पर्यावरण मंजूरी का विवरण | वैधता (दि./माह/वर्ष तक) और अनुमोदित मात्रा | |
| 25 | प्राप्त एसपीसीबी अनुमोदनों का विवरण | वैधता (दि./माह/वर्ष तक) और अनुमोदित मात्रा | |
| 26 | प्राप्त वन मंजूरी का विवरण, यदि लागू हो | वैधता (दि./माह/वर्ष तक) और अनुमोदित मात्रा | |
| **रिपोर्टिंग वर्ष के दौरान सरकारी राजकोष को योगदान (रूपए में)** | | | |
| | | देय राशि | प्रदत्त राशि |
| 27 | प्रदत्त रॉयल्टी | | |
| 28 | प्रदत्त डेड रेंट | | |
| 29 | डीएमएफ को योगदान, यदि लागू हो | | |
| 30 | राज्य गवेषण ट्रस्ट को योगदान, यदि लागू हो | | |

**भाग- ख: सतत खनन**

**(कुल अंक 100)**

| विवरण | विवरण (पट्टाधारक द्वारा भरा जाए) | | रेटिंग अंक | लागू अधिकम अंक | प्राप्त अंक |
|---|---|---|---|---|---|
| **मॉडयूल-I**<br>**वयवसथित एवं सतत खनन**<br>**(अधिकतम अंक 25)** | | | | | |
| रिपोर्टिंग वर्ष के दौरान खनिजवार कुल उत्पादन | अनुमोदित मात्रा (टन)<br>[भरा जाए] | वास्तविक (टन)<br>[भरा जाए] | • >=50% to 100%(7 अंक)<br>• 30% & 50% के बीच (5 अंक)<br>• < =30% एवं >100% (0 अंक) | 7 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| अपशिष्ट प्रबंधन(सतही भूमि को छोडकर) | अनुमोदित योजना दस्तावेज के अनुसार | हां(5 अंक)<br>नहीं (0 अंक )<br>लागू नहीं | 5 | |
| स्वच्छ एवं स्थाई बेंचों (खुला मुहाना) अथवा ड्राईव (भूमिगत) का गठन | अनुमोदित योजना दस्तावेज के अनुसार | हां 5 अंक<br>नहीं 0 अंक | 5 | |
| धूल हटाने संबंधी उपाय | • कवर वाहनों में खनिज का परिवहन | हां 2 अंक<br>नहीं 0 अंक | 8<br><br>[ऐसे मामलों में जहां वेधन न की गई हो अधिकतम 6 अंक होंगें] | |
| | • जल छिडकांव | हां 2 अंक<br>नहीं 0 अंक | | |
| | • गिली वेधन | हां 2 अंक<br>नहीं 0 अंक<br>लागू नहीं | | |
| | • टायर वांशिग | नहीं 2 अंक<br>नहीं 0 अंक | | |

**<u>मॉडयूल -II</u>**
**<u>पर्यावरण सुरक्षा एवं जल संरक्षण</u>**
**(अधिकतम अंक 30)**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| सतही भूमि का संरक्षण एवं इसका उपयोग | अनुमोदित योजना दस्तावेज के अनुसार | | हां(6 अंक)<br>नहीं (0 अंक)<br>लागू नहीं | 6 | |
| पर्यावरण पैरामीटर की अनुपालना रिपोर्ट (वायु, जल आदि) | एसपीसीबी मानकों के अनुसार | | हां 6 अंक<br>नहीं 0 अंक | 6 | |
| पुर्नवास एवं प्रगतिशील खान बंदी | अनुमोदित योजना दस्तावेज के अनुसार | | • 100% (6 अंक)<br>• >50 < 100% (3 अंक)<br>• <=50%(0 अंक)<br>• लागू नहीं | 6 | |
| रिपोर्टिंग वर्ष के दौरान अनुमोदित दस्तावेज के अनुसार की गई कुल पौधारोपण/अनुपूरक वनारोपण | अनुमोदित मात्रा (सं.) | वास्तविक (सं.) | • 80-100% (4 अंक)<br>• >50 <80% (2 अंक)<br>• <=50%(0 अंक)<br>• NA | 4 | |
| उनके पौधारोपण के पहले वर्ष के दौरान पौधों के उत्तरजीविता दर | पेडों/पौधों की सं. | पहले वर्ष के पश्चात जीवित पेड/पौधें | • 70-100% (4 अंक)<br>• >50 <70% (2 अंक)<br>• <=50%(0 अंक )<br>• लागू नहीं | 4 | |
| पीने, कृषि, खननगतिविधि आदि के लिए पुनर्चक्र जल का उपयोग | विवरण दिया जाए | | हां 4 अंक<br>नहीं 0 अंक<br>लागू नहीं | 4 | |

**<u>मॉडयूल -III</u>**
**<u>कामगारों की स्वास्थ्य सुरक्षा एवं कल्याण</u>**
**(अधिकतम अंक 25)**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| कुल कर्मचारियों/कामगारों काक प्रतिशत जिन्हें डीजीएमएस अनुमोदित कार्मिक सुरक्षा उपकरण (पीपीई) अर्थात हेल्मेट, जूते, दस्ताने एवं धूलमास्क आदि उपलब्ध | औसत कुल रोजगार | कुल रोजगार का प्रतिशत जिन्हें पीपीई उपलब्ध कराए गए | • 100 % (5 अंक)<br>• >50 < 100% (2 अंक)<br>• <=50%(0 अंक) | 5 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| कराया गया । | | | | | |
| कुल रोजगार का प्रतिशत जिनका खान नियम, 1955 के अनुसार समय-समय पर चिकित्सा जांच (पीएमई) कराया गया | औसत कुल रोजगार | कुल रोजगार का प्रतिशत जिनका नियम के अनुसार पीएमई कराया गया | • 100 % (5 अंक)<br>• >50 < 100% (2 अंक)<br>• <=50%(0 अंक) | 5 | |
| सभी कामगारों को पेयजल एवं स्वच्छता सुविधाओं का प्रावधान | विवरण दिया जाना है | | हां 2 अंक<br>नहीं 0 अंक | 2 | |
| महिला कर्मचारियों को मूल सुविधाएं अर्थात क्रेच, शौचालय एवं रेस्टरूम का प्रावधान | विवरण दिया जाना है | | हां 2 अंक<br>नहीं 0 अंक<br>लागू नहीं | 2 | |
| रिपोर्टिंग वर्ष के दौरान खान कामगारों में पाए गए 'सिलिकोसिस' अथवा अन्य व्यवसायिक बीमारियों के मामले | विवरण दिया जाना है | | हां 0 अंक<br>हां 3 अंक | 3 | |
| सीएसआर के रूप में खान कामगारों के लिए/आसपास के क्षेत्रों में पट्टाधारकों द्वारा शुरू किए गए कल्याणकारी उपाय | विवरण दिया जाना है | | हां 3 अंक<br>नहीं 0 अंक | 3 | |
| खान आपता से निपटने संबंधी प्रावधान/बचाव कार्य | विवरण दिया जाना है | | हां 5 अंक<br>नहीं 0 अंक | 5 | |

**मॉडयूल -IV**
**सांविधिक अनुपालना**

**(अधिकतम अंक 20)**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| क्या सरकारी विभागों से अपेक्षित सभी अनापत्ति प्रमाण पत्र/प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिए गए | विवरण दिया जाना है | हां 5 अंक<br>नहीं 0 अंक | 5 | |
| किसी भी सरकारी एजेंसियों अर्थात डीजीएमएस, एसजी, एसपीसीबी द्वारा इंगित सभी उल्लंघनों में सुधार | विवरण दिया जाना है | हां5 अंक<br>नहीं 0 अंक | 5 | |
| कानून के अनुसार सक्षम व्यक्ति अर्थात एजेंट, प्रबंधक, फोरमैन, खनन मेंट एवं ब्लास्टर की नियुक्ति | नाम दिया जाना है | सभी हां 5 अंक शून्य 0 अंक<br>(प्रत्येक श्रेणी के लिए एक अंक) | 5 | |
| सीमा समन्वय के साथ प्रमाणित पट्टें का स्केच | सीमा समन्वय के साथ प्रमाणित पट्टें का स्केच दिया जाना है। | हां 3 अंक<br>नहीं 0 अंक | 3 | |
| नियम के अनुसार पट्टा क्षेत्र में सीमा स्तंभों का निर्माण | विवरण दिया जाना है | हां 2 अंक<br>नहीं 0 अंक | 2 | |

| प्राप्त अंकों का सार | लागू अधिकतम अंक | प्राप्त अंक |
|---|---|---|
| | | |

**समग्र निष्पादन एवं स्टार रेटिंग**

| | सभी मॉडयूलों के अधिकतम अंकों का जोड (क) | सभी मॉडयूलों में प्राप्त अंकों का जोड (ख) | प्रतिशत **(b/a)*100** |
|---|---|---|---|
| मॉडयूल **1** | 25 | | |
| मॉडयूल **2** | 30 | | |
| मॉडयूल **3** | 25 | | |
| मॉडयूल **4** | 20 | | |
| कुल | **100** | | |
| प्राप्त **%** | | | |
| स्टार रेटिंग | | | |

स्टार रेटिंग के लिए मापदंड

| प्राप्त **%** | मापदंड |
|---|---|
| =>80 to 100 % | 5 स्टार |
| =>70 to <80 % | 4 स्टार |
| =>60 to<70 % | 3 स्टार |
| =>50 to <60 % | 2 स्टार |
| =>25 to<50 % | 1 स्टार |
| <=25% | कोई रेटिंग नहीं |

प्रमाणपत्र

मैं ……., श्री/श्रीमती……का सुपुत्र/सुपुत्री, पदनाम……. पट्टाधारी की ओर से इस दस्तावेज को भरने तथा जमा करने के लिए प्राधिकृत हूँ । इसके अतिरिक्त यह प्रमाणित किया जाता है कि दी गई उल्लिखित सूचना मेरी जानकारी के अनुसार सही हैं तथा तथ्यों पर आधारित है।

दिनांक:

स्थान:

(नाम)

एजेंट/प्रबंधक

**********

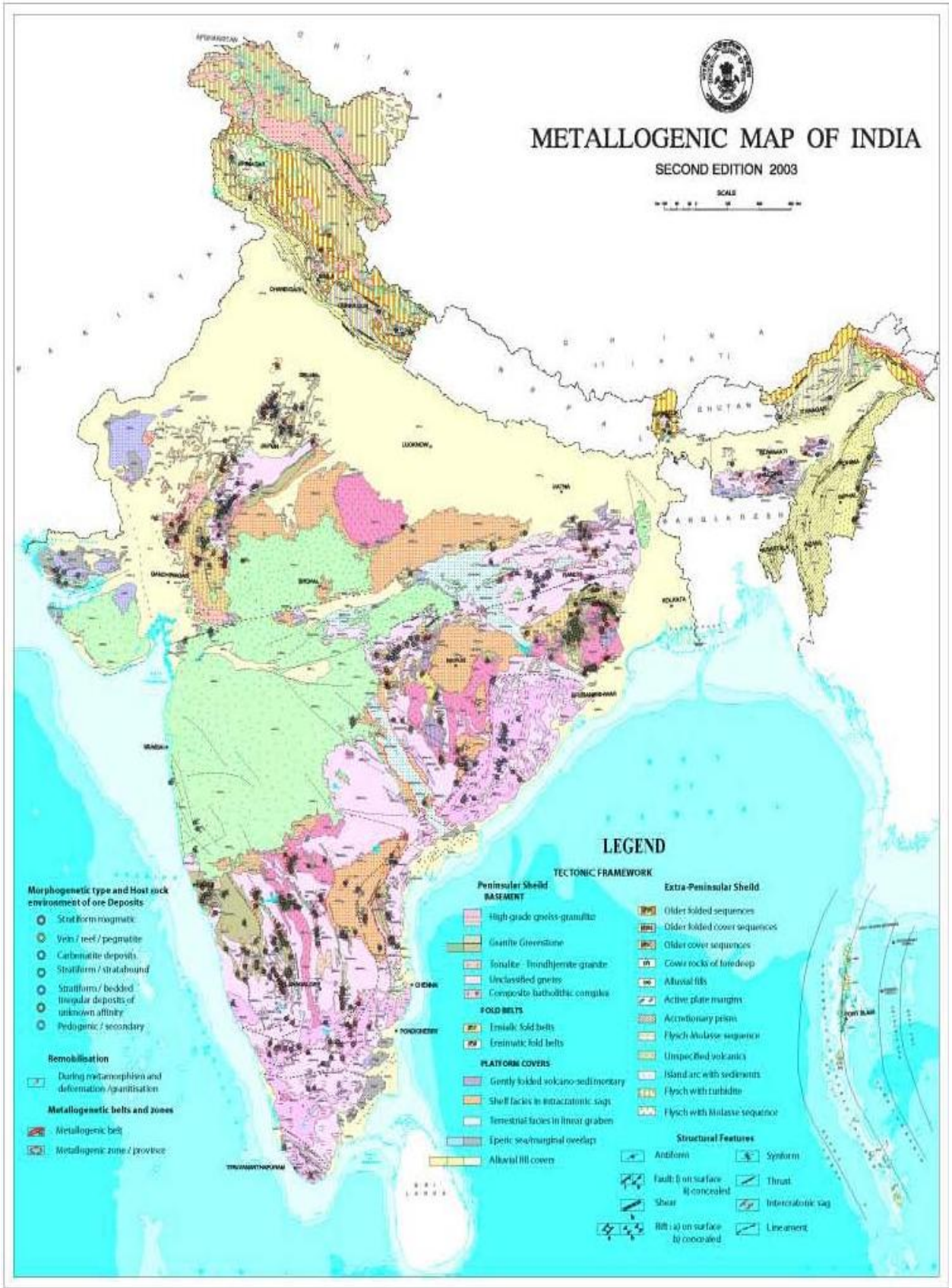

METALLOGENIC MAP OF INDIA
SECOND EDITION 2003
SCALE
LUCKNOW
PATNA
BHOPAL
KOLKATA
CHENNAI
PONDICHERRY
BHUTAN
BANGLADESH
LEGEND
TECTONIC FRAMEWORK
Peninsular Sheild
BASEMENT
High-grade gneiss-granulite
Granite Greenstone
Tonalite - Trondhjemite granite
Unclassified gneiss
Composite batholithic complex
FOLD BELTS
Ensialic fold belts
Ensimatic fold belts
PLATFORM COVERS
Gently folded volcano-sedimentary
Shelf facies in intracratonic sags
Terrestrial facies in linear graben
Eperic sea/marginal overlap
Alluvial fill covers
Extra-Peninsular Sheild
Older folded sequences
Older folded cover sequences
Older cover sequences
Cover rocks of foredeep
Alluvial fills
Active plate margins
Accretionary prisms
Flysch Molasse sequence
Unspecified volcanics
Island arc with sediments
Flysch with turbidite
Flysch with Molasse sequence
Structural Features
Antiform
Synform
Fault: i) on surface ii) concealed
Thrust
Shear
Intercratonic sag
Rift : a) on surface b) concealed
Lineament
Morphogenetic type and Host rock environment of ore Deposits
Stratiform magmatic
Vein / reef / pegmatite
Carbonatite deposits
Stratiform / stratabound
Stratiform / bedded
Irregular deposits of unknown affinity
Pedogenic / secondary
Remobilisation
During metamorphism and deformation /granitisation
Metallogenetic belts and zones
Metallogenic belt
Metallogenic zone / province

खान मंत्रालय
भारत सरकार

# तृतीय राष्ट्रीय खान और खनिज सम्मेलन

## 20 मार्च, 2018, होटल अशोका, नई दिल्ली

| | |
|---|---|
| 1. | भारत में खनिज परिदृश्य |
| 2 | नीतिगत रूपरेखा |
| 3. | खनिज ब्लॉकों की नीलामी |
| 4. | प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना (पीएमकेकेकेवाई) की प्रगति |
| 5. | 2020 में समाप्त हो रहे खनन पट्टों की नीलामी के लिए तैयारी |
| 6. | गवेषण पर जोर |
| 7. | खनन निगरानी प्रणाली (एमएसएस) |
| 8. | खानों की स्टार रेटिंग |
| 9. | सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग |
| 10. | अवैध खनन और इसकी रोकथाम |
| 11. | बालू खनन हेतु सिफारिशें |
| 12. | विविध |